पी एण्ड एस बैंक

राजभाषा

अंकुर

जुलाई–सितंबर, 2012

पी.एस.बी

੧ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

Punjab & Sind Bank

(राजभाषा विभाग)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय प्रतिष्ठित 'ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार' के विजेता, बैंक के हॉकी कोच श्री गुनदीप कुमार, ओलंपियन को सम्मानित करते हुए।

कार्यकारी निदेशक महोदय प्रतिष्ठित 'ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार' प्राप्त करने पर बैंक के हॉकी कोच श्री गुनदीप कुमार, ओलंपियन को बधाई देते हुए।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका पी एण्ड एस बैंक

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाउस', प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली-110 008

जुलाई-सितंबर 2012

विषय-सूची

आप की कलम से	2
संपादकीय	3
वित्त-मंत्री का संदेश	4
गृह-मंत्री का संदेश	5
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	6
कार्यकारी निदेशक का संदेश	7
राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हिंदी भाषा	8
समय प्रबंधन	10
वित्तीय समावेशन : भविष्य की आवश्यकता, समस्याएं एवं समाधान	12
सिक्का संकट	14
झूठ का सच	15
नई शाखाएँ	17
प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित हिंदी दिवस की झलकियाँ	20
वित्त-मंत्रालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की बैठक	22
आंचलिक कार्यालय स्तर पर आयोजित हिंदी दिवस की झलकियाँ	24
हिंदी-पंजाबी कार्यशालाएँ	26
राजभाषा समाचार	28
गतिविधियाँ	30
एक तीर्थ - स्थल ऐसा भी	32
तकल्लुफ	33
विश्व हिंदी सम्मेलन - विश्व हिंदी दिवस	34
शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंधन का व्यावसायीकरण	35
बिरयानी की खुशबू में डूबा - हैदराबाद	36
काव्य-मंजूषा	38
सेवा-निवृत्तियाँ	40
राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह	42
हमारे चित्रकार	44

मुख्य संरक्षक

श्री डी. पी. सिंह, आईएएस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

श्री पी. के. आनन्द
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री डी. डी. नाग
महा प्रबंधक

संपादक व प्रकाशक

डॉ. चरनजीत सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक एवं प्रभारी,
राजभाषा विभाग

संपादक मंडल

श्रीमती इन्द्रपाल कौर
वरिष्ठ प्रबंधक

श्री हिमांशु राय
राजभाषा अधिकारी

पंजीकरण सं. : फा 2(25) प्रैस. 91

राजभाषा अंकुर में प्रकाशित सामग्री में दिये गए विचार संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : मोहन प्रिंटिंग प्रेस
[illegible], कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-[illegible] फोन : [illegible]

आपकी कलम से

हमें आपकी गृह-पत्रिका 'राजभाषा अंकुर'' का अप्रैल-जून, 2012 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। नए संपादक महोदय को मेरी ओर से बधाईयां। संपादकीय में हिंदी और बैंकिंग का समन्वय पढ़ना काफी अच्छा लगा। ''राजभाषा अंकुर'' में अंकुरित विविध विषयों के लेख अत्यंत रोचक एवं पठनीय हैं। लेख 'राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति' एक उपयोगी लेख है जो हिंदी के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि कर रहा है। 'आप और आपका ए.टी.एम.' 'बैंकों में अनुपालन संबंधी कार्य', 'बैंकों में सतर्कता प्रशासन', 'वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता' जैसे बैंकिंग से संबंधित लेख हमारी बैंकिंग जिज्ञासा को शांत करते हैं और नए तथ्यों से हमारा परिचय कराते हैं। वैभवी मल्होत्रा की आत्मकथात्मक कहानी 'मैं और मेरे सपने'' में एक ताज़गी महसूस हो रही है। काव्य की बगिया में खिले सभी फूल मन को बरबस ही आकर्षित करते हैं।

- जी. एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) एवं संपादक 'आवास भारती'
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

पत्रिका अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं प्रकाशित सामग्री रोचक है। स्थायी स्तंभ पत्रिका की शान हैं। लेख 'अंक सात की महिमा' में काफी लाभप्रद जानकारी है। लेख 'आशा ही जीवन है' काफी ज्ञानवर्धक व उपयोगी है। 'एक और ओलंपिक हो रहा है' लेख काफी बढ़िया व स्तरीय है। पत्रिका में प्रकाशित 'वैभवी मल्होत्रा' का व्यंग्यात्मक लेख 'मैं और मेरे सपने' में एक बच्चे के अपने विचार व सोच तथा उसकी प्रस्तुति प्रशसंनीय है। आशा करता हूँ कि आगामी अंकों में भी इसी प्रकार पठनीय सामग्री मिलेगी।

- डॉ. सुरेश कुमार
प्रिंसीपल साईंटिस्ट, आई.सी.ए.आर.,
पूसा परिसर, नई दिल्ली

पत्रिका का कलेवर आकर्षक तथा बैंक की समस्त गतिविधियों का संकलन प्रशंसनीय है। पत्रिका के लेख उच्च-स्तरीय तथा ज्ञानवर्धक हैं। निश्चित रूप से यह अंक सभी पाठक वर्ग को रास आयेगा। विषय-वस्तु तथा संपादन की दृष्टि से यह अंक प्रशंसनीय है। संपादक मंडल तथा रचनाकारों को हार्दिक बधाई।

- राजेश कुमार राय
डिप्टी जेलर, जिला कारागार, बरेली

वकौल ग़ालिब 'होने को तो दुनिया में है रिसाले बहुत अच्छे, कहते हैं कि ''अंकुर'' का है अंदाज़-ए-बयां और! जून 2012 के अंक हेतु धन्यवाद। पढ़ कर पंजाब एंड सिंध बैंक में बिताए अपने दिनों की याद ताज़ा हो गयी। ''अंकुर'' निरंतर बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। चाहे कागज़ की गुणवत्ता हो या मुद्रण या फिर रचनाओं की विविधता, उपयोगिता अथवा मनोरंजन, सभी का अति सुन्दर सामंजस्य देखकर बहुत अच्छा लगा। स्टाफ़ सदस्यों की प्रतिभा वाकई सराहनीय है। चित्ताकर्षक आवरण पत्रिका में चार चाँद लगा रहा है।

-दिनेश कुमार गुप्ता
भूतपूर्व मुख्य सतर्कता अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का नवीनतम अंक मिला, धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री न केवल रोचक है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। पत्रिका की विविधता मानो 'गागर में सागर' जैसी है। कहानी 'जन्म-दिन' काफी मर्मस्पर्शी है। 'काव्य-मंजूषा' में प्रकाशित कविताओं में 'शालू गंगवार' की कविता अच्छी है। पत्रिका में 'वैभवी मल्होत्रा' का व्यंग्यात्मक लेख 'मैं और मेरे सपने' पढ़ते ही बनता है।

- प्रवीन कुमार
उप-निदेशक, मुख्यालय, वित्त-मंत्रालय (नेवी)
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

'राजभाषा अंकुर' का अप्रैल-जून 2012 का अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। जैसा कि 'अंकुर' नाम से ही प्रतीत होता है इसमें समसामयिक विषयों के विभिन्न अंकुर अंकुरित किए गए है। पत्रिका में धार्मिक पक्ष के साथ-साथ राजभाषाई पक्ष भी उभर कर आया है। पत्रिका में बैंकिंग संबंधी विविध जानकारी देकर इसे संग्रहणीय बनाया गया है। पत्रिका के लेखों से कार्मिकों की रूचि तथा उनका समपर्ण भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। पत्रिका को बार-बार पढ़ने का मन करता है। अतः बधाई।

- एस. डी. पांडेय
पूर्व सहायक निदेशक (राजभाषा)
क्षे. का., दिल्ली

संपादकीय

मेरे प्रिय साथियो,

सबसे पहले मैं, अपने पी.एस.बी. परिवार को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले माह के दौरान बैंक के वातावरण में हिंदी दिवस की काफी गहमा-गहमी रही। मेरा विश्वास है कि हिंदी दिवस समारोह के बाद आपके मन में हिंदी में काम करने की इच्छा पहले से और अधिक प्रबल हो चुकी होगी। ऐसे आयोजन निश्चित रूप से स्टाफ-सदस्यों में जागरूकता लाते हैं तथा प्रेरणा देते हैं कि हम अपनी धरोहर को पहचानें और इसे अपने जीवन में सकारात्मक रूप में ढालने का प्रयास करें।

साथियो, भारतवर्ष में प्रमुखतः चार मौसम माने गए हैं और इनमें गर्मी का मौसम सबसे लंबा होता है। वैसे तो वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है लेकिन सामान्यतः सर्दी का मौसम सबको भाता है। जब तक यह अंक आपके हाथों में आएगा वर्षा ऋतु लगभग समाप्त हो चुकी होगी। सख़्त गर्मी तथा बिना पानी के चार महीनों में धरती पर जो दरारें दिखाई पड़ने लगी थीं, वो सावन के आने से लहलहाते खेतों में परिवर्तित हो चुकी होंगी। सभी जानते हैं कि पानी इंसान की ज़िंदगी है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि पृथ्वी का तीन चौथाई भाग पानी में डूबे होने के बावजूद भी हमारे पास पीने के पानी की कमी है। हमारी नदियाँ पानी से भरी पड़ी हैं। वर्षा भी हमारे देश में काफी होती है। लेकिन नदियों का अधिकतर पानी समुद्र में जा मिलता है और पीने तथा खेती योग्य नहीं रह जाता। इसीलिए आज सरकार पीने के पानी की कमी की समस्या से जूझ रही है।

ठीक यही स्थिति देश में धन की है। आवश्यकता से अधिक धन को व्यर्थ जाने से रोकने के लिए उसका संरक्षण आवश्यक है। धन का संचय व्यक्ति तभी करता है जब धन का प्रयोग न करने के एवज़ में उसे कोई लाभ प्राप्त हो। यह काम देश के बैंक धन के बदले में ब्याज देकर कर रहे हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम आम जनता को अपने बैंक के उत्पादों से इस प्रकार दो-चार करें कि उन्हें हमारे बैंक के साथ जुड़ने में ही अपनी बेहतरी नज़र आए। इसके लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, हमें अपनी ग्राहक-सेवा को भी बेहतर से बेहतरीन करना होगा।

क्योंकि हमारी संस्था एक व्यापारिक संस्था है। इसलिए जहाँ एक ओर 'अंकुर' के माध्यम से साहित्य की विभिन्न विधाओं पर आलेख प्रकाशित कर हम आपका ज्ञान बढ़ाने तथा मनोरंजन करने का प्रयास करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपसे अपनी प्रिय संस्था की व्यापारिक स्थिति को और मज़बूत करने हेतु योगदान देने पर भी ज़ोर देते हैं। बैंक के विकास के साथ-साथ हम राजभाषा हिंदी के विकास को भी नज़र अंदाज़ नहीं कर सकते। हमारी यह पत्रिका हिंदी के विकास एवं प्रचार-प्रसार में सदैव सहायक सिद्ध हुई है। हमें गर्व है कि हमारी इस पत्रिका को बेहतर प्रकाशन हेतु पिछले काफ़ी समय से विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। हमने अपने इस अंक को साहित्य की विभिन्न विधाओं से रंगने का प्रयास किया है। इस अंक में जहाँ एक ओर राजभाषा संबंधी गतिविधियों का प्रदर्शन चित्रों द्वारा करने का प्रयास किया है वहीं दूसरी ओर कहानी, व्यंग्य, बैंकिंग आदि विषयों से भी यह पत्रिका अछूती नहीं रही है। पत्रिका में पी.एस.बी. परिवार के बच्चों की बाल-सुलभ कृतियों का भी चित्रण किया गया है।

पिछले काफ़ी वर्षों से हमारी इस पत्रिका को आप से जो सहयोग प्राप्त हो रहा है उसके लिए मैं आप सब का आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लगातार विभिन्न विषयों पर अपनी कहानियाँ, आलेख तथा अपने बच्चों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को हमें प्रेषित करते रहें ताकि हम अपने सुधि पाठकों को एक संग्रहणीय पत्रिका प्रत्येक तिमाही में उपलब्ध कराते रहें। मैं, उन पाठकों का भी कृतज्ञ हूँ जिनके सुझावों तथा प्रतिक्रियाओं के कारण यह पत्रिका अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो रही है।

शुभकामनाओं सहित,

(डी. डी. नाग)
महाप्रबंधक व मुख्य संपादक

पी. चिदम्बरम
P. CHIDAMBARAM

वित्त-मंत्री
भारत
FINANCE MINISTER
INDIA
NEW DELHI-110001

संदेश

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह भारत में अधिकांश लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है। भाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करती है। राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने व शासन को अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाने में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की अहम भूमिका है। आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में जन-भाषाओं का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया है।

आज, 14 सितंबर को ''हिंदी दिवस'' के अवसर पर, मैं वित्त-मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों और विनियामक निकायों आदि के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से यह आग्रह करता हूं कि वे अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करके अपने सांविधिक दायित्व का निर्वाह करें।

(पी. चिदम्बरम)

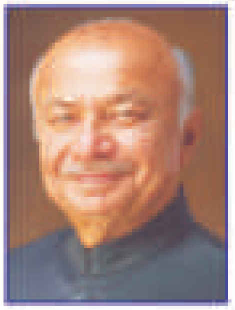

सुशीलकुमार शिंदे
SUSHILKUMAR SHINDE
गृह-मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

संदेश

प्रिय देशवासियो,

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं।

हिंदी हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा पारस्परिक व्यवहार में प्रयुक्त की जाती है। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान में इसे संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा हिंदी में सरकारी कामकाज करने से सरकार और जनता के बीच परस्पर विश्वास बढ़ता है, जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को मूर्त रूप देने में अत्यंत आवश्यक है। देश और समाज के व्यापक हित में राजभाषा हिंदी के प्रति जनता और सरकारी तंत्र दोनों को अधिक से अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है।

आज वैश्वीकृत और उदारीकृत अर्थव्यवस्था ने भाषाओं का महत्व उजागर कर दिया है। हिंदी भी विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं में से एक है। इसलिए भारत को जानने-समझने वालों के अलावा आज व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। ऐसे दौर में हमारे लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दें। इससे हम सभी लाभान्वित होंगे।

अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी से उबरने के लिए ज्ञान का प्रसार आज की अहम् जरूरत है। ज्ञान ही अंततोगत्वा धन-दौलत में बदलता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, इंजीनियरी, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे अनेक क्षेत्र हैं, जिनमें हमें महारत हासिल है। इन क्षेत्रों में हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने समय-समय पर पुरस्कार योजनाएं लागू की हैं। लेखक और प्रकाशन आधुनिक ज्ञान को सभी भारतीयों तक पहुँचाने में अहम् भूमिका निभा सकते हैं और भारत के एक महान शक्ति बनने में अपना योगदान दे सकते हैं।

राजभाषा विभाग, गृह-मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। मैं केंद्रीय सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ठोस प्रयास करने का आग्रह करता हूं। मैं अपील करता हूं कि इस संबंध में भेजी जाने वाली प्रगति रिपोर्टों में वास्तविक तथा तथ्यपरक आंकड़े एवं सूचनाएं ही दी जाएं। साथ ही केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों की वेबसाइटों पर नवीनतम एवं पूर्ण जानकारी हिंदी में उपलब्ध करायी जाए।

कार्यालयों में हिंदी में मूल टिप्पण व पत्राचार को प्रोत्साहित किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त, कठिन हिंदी के बजाय सरल एवं सहज हिंदी का प्रयोग हिंदी की व्यापक पहुँच एवं प्रचार में सहायक साबित होगा।

संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है, किंतु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है। आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्व का पालन करने का संकल्प लें।

जयहिंद

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2012

(सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय साथियों

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को सांविधिक रूप से संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कार्मिकों में हिंदी में अपना दैनिक कार्य करने हेतु जागरूकता तथा बैंक में हिंदीमय वातावरण तैयार करने के लिए हम सितंबर माह के प्रथम पाक्षिक को हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को हिंदी दिवस के समापन समारोह अर्थात 14 सितंबर को पुरस्कृत किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य प्रेरणा और प्रोत्साहन द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना है।

आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्व का दिन है। यह हमारा वाणी-पर्व दिवस है। विश्व में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं किंतु वाणी-पर्व का दिवस अनूठा है। वाणी ही यह विज्ञापित करती है कि हम भारतीय हैं। वाणी ही हमारी एक अलग पहचान स्थापित करती है। राजभाषा के रूप में हम सबको उसके माध्यम से जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करके हिंदी को प्रचलित करना है।

मैं चाहता हूँ कि हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम सब पुनः यह संकल्प लें कि हम बैंक में ऐसा वातावरण तैयार करें कि प्रत्येक कर्मचारी स्वेच्छा से हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करे। आज कार्यालयों में जो कार्य हो रहा है वह केवल अनुवाद के माध्यम से हो रहा है। यह स्थिति किसी भी भाषा की उन्नति के लिए अच्छी नहीं हो सकती। अतः हमें अपने समस्त कार्य मूल रूप से हिंदी में करने का प्रयास करने चाहिए। निश्चित रूप से जन-साधारण की भाषा में हिंदी में कार्य करने से जहाँ हम अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करेंगे वहीं अपने ग्राहकों से निकटता बना कर बैंक के कारोबार को बढ़ाने में भी सफल होंगे।

हिंदी दिवस को मात्र औपचारिकता न मान कर हम अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी के माध्यम से करें और हिंदी को लागू करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को ईमानदारी तथा निष्ठा से प्राप्त करें।

शुभकामनाओं सहित,

डी पी सिंह

डी. पी. सिंह, आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कार्यकारी निदेशक
का संदेश

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

हमने अपने संविधान का जो स्वरूप निर्धारित किया है उसकी एक अहम बात अपनी राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करना है। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं में हिंदी एक है। इस भाषा को आज विश्व भर में बहुत तेज़ी के साथ सीखा जा रहा है। ऐसा वाणिज्य का तकाज़ा है। आज अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और व्यापार, प्रत्येक को अन्य किसी भाषा को सीखने के लिए मजबूर करता है। भारत को जानने-समझने वालों के अलावा आज व्यापार क्षेत्र के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। ऐसे दौर में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम हिंदी प्रयोग को बढ़ाएं। इससे फ़ायदा ही होगा। हमें हिंदी का प्रयोग करते देख अतिथिगण भी हिंदी का प्रयोग ही करेंगे। यह एक शुभ संकेत होगा।

हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदुस्तान के आवाम की भाषा है, एक भारतीय दिल को दूसरे भारतीय दिल से जोड़ने की भाषा है, हमारी भाषा, आपकी भाषा, हम सबकी भाषा है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं हमारी संस्कृति, राष्ट्रीय अस्मिता और जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति की संवाहिकाएं हैं। राष्ट्रीय अस्मिता का तकाज़ा है कि उदारीकरण के इस दौर में एक नई आर्थिक संस्कृति के विकास के साथ-साथ, हमारे सामाजिक शासकीय कार्य-व्यवहार में, हिंदी तथा अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हुए, हम अपनी भाषीय संस्कृति भी विकसित करें।

बैंक एक व्यापारिक संस्था है इसलिए हमारा सीधा संबंध जनता से होता है। यह तो सभी जानते हैं कि भारत की 70 प्रतिशत जनता हिंदी लिखती है, पढ़ती, समझती व बोलती है। इसलिए आज बैंकों को सबसे अधिक आवश्यकता हिंदी में काम करने की है। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हिंदी के प्रयोग तथा प्रचार के बिना भारतीयों के दिलों तक नहीं पहुंच सकते। आज बैंक निश्चित रूप से हिंदी भाषा के माध्यम से आम जनता को इस क्षेत्र में होने वाले नित-नए आविष्कारों की जानकारी प्रदान कर एक सेतु का काम कर रहे हैं। हिंदी भाषा के विकास के कारण ही आज बैंकिंग मैट्रो शहरों से निकल कर छोटे-छोटे गाँवों तक पहुंच गई है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग कर जनता की सेवा करें। आज आवश्यकता है सरकारी कामकाज को पूरे आत्मविश्वास के साथ हिंदी में करने की। क्योंकि हम लोग एक व्यापारिक संस्थान में काम करते हैं इसलिए हिंदी भाषा में काम करना या क्षेत्रीय भाषा में काम करना हमारी ज़रूरत है हमारी मज़बूरी नहीं। हमें जितनी भी हिंदी आती है और जैसी भी हिंदी आती है वह हमारे अपने लोगों के समझने के लिए पर्याप्त है।

आइए! हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रतिज्ञा लें कि हम अपने दैनिक कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकतम प्रयोग करेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

(पी. के. आनन्द)
कार्यकारी निदेशक

राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हिंदी भाषा

- पवन कुमार जैन

अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अन्य देशों की भाँति केवल एक ही भाषा-भाषी लोग नहीं रहते। यह बहुभाषा-भाषी देश है। लगभग हर प्रांत की अपनी भाषा और

बोली है। ऐसी स्थिति में किसी एक भाषा की आवश्यकता तो होगी ही जोकि संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर सके। तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, बांग्ला, मराठी आदि सभी क्षेत्रीय भाषाएँ यद्यपि पूर्णतया समर्थ भाषाएँ हैं लेकिन चूंकि इनका विकास एक निश्चित क्षेत्र के बीच में ही हुआ है इसलिए यह पूरे देश की संपर्क भाषा नहीं बन सकती। केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कि पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ सकती है और जोड़ रही है। हम देश के किसी कोने में चले जाएं हिंदी के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं।

हिंदी ने देश के विभिन्न भाषा-भाषियों के लेखकों और विचारकों को भी आपस में जोड़ने का महानतम कार्य किया है। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राममोहन राय ने "बंगदूत" के हिंदी संस्करण का प्रकाशन किया। श्री नवीनचन्द्र राय ने भी हिंदी के माध्यम से ब्रह्म समाज के आदर्शों को प्रसारित करने का प्रयास किया। कालजयी कथाकार बंकिम चन्द्र चटर्जी ने राष्ट्र को नई शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने के लिए "वंदे मातरम" का मंत्र दिया। बंगाल के प्रख्यात पत्रकार कालिप्रसन्न काव्यविशारद ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानकर हिंदी में एक राष्ट्रगीत की रचना की, जिसकी अंतिम पंक्ति थी - "हे मतिमान देश की संतान, करो स्वदेश हित।" स्वदेशी आंदोलन में इस गीत को अतिशय लोकप्रियता प्राप्त हुई। स्वामी दयानंद ने हिंदी के माध्यम से ही भारतीय जीवन के अतीत को वैदिक आदर्शों से अनुप्राणित करने का प्रयास किया और "सत्यार्थ प्रकाश" का प्रकाशन हिंदी में किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता-संग्राम को जनता का संग्राम बना दिया उन्होंने यह अनुभव किया कि अभिजात्य वर्ग द्वारा प्रयुक्त अंग्रेजी एक सीमित दायरे तक संपर्क भाषा तो बन सकती है, किंतु जन-जागरण जन-भाषा के माध्यम से ही संपन्न होगा। भारत की अधिकांश जनसंख्या हिंदी ही समझती थी। अतः महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन से सम्बद्ध हुए। हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' की स्थापना की। दक्षिण और उत्तर में भाषा का सेतु बनाने का भी उन्होंने प्रयास किया। "दक्षिण भारत राष्ट्रभाषा प्रचार समिति" हिंदी एवं द्रविड़ भाषाओं के मध्य संगम-सूत्र बन गई। तमिलनाडु के मूर्धन्य कवि सुब्रहमण्यम भारती ने राष्ट्रभाषा हिंदी का अभिनन्दन किया।

तमिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम की श्रेष्ठ कृतियों का हिंदी में रूपांतर हुआ। तमिलभाषी डॉ. रांगेय राघव हिंदी के श्रेष्ठ कथा-शिल्पी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तेलगुभाषी श्री बालकृष्ण राव को हिंदी-कवि के रूप में काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तेलगुभाषी श्री मोटरु सत्यनारायण ने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का नेतृत्व किया। हिंदी के प्रचारक एवं प्राध्यापक श्री ए. सी. कामाक्षिराव ने "रंगनाथ रामायण" का हिंदी में और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रख्यात कृति "बाणभट्ट की आत्मकथा" का तेलगु में अनुवाद किया। श्री विनायक राव विद्यालंकार तेलगुभाषी थे। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी माध्यम से महाविद्यालय की स्थापना की।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने जिस दिन यह घोषणा की कि - ''स्वतंत्रता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है'', उसी दिन से भारत में राष्ट्रीय जागृति का शुभारम्भ हुआ। तिलक के व्यक्तित्व के कारण ही राष्ट्रीयता का प्रकाश पूरे देश में फैल गया। मराठी लेखक श्री गजानन माधव मुक्तिबोध एवं डॉ. प्रभाकर माचवे ने हिंदी साहित्यकार के रूप में पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित की। महान इतिहासकार डॉ. अनंत सदाशिव अल्टेकर की अनेक कृतियों का प्रकाशन हिंदी में हुआ है।

गुजरात राजस्थान से जुड़ा हुआ प्रान्त है। इस भौगोलिक समीपता के कारण हिंदी एंव गुजराती में काफी भाषायी समानता है। कृष्ण की उपासिका मीरा के पदों में हिंदी और गुजराती का संगम दिखाई देता है। वे दोनों भाषाओं में रचना करती थीं।

भारत-विभाजन के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। वहाँ पर हिंदी के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं थी फिर भी कुछ हिंदी-सेवियों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार की ज्योति जलाए रखी। सिंधी भाषी श्री मदनमोहन गुगलानी डी.ए.वी. कॉलेज जालंधर में हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। मोहन राकेश के नाम से वे हिंदी में प्रतिष्ठित हुए। उनके नाटक आज भी देश के कोने-कोने में मंचित किए जाते हैं।

गुरुबाणी हिंदी की महानतम निधि है जिसमें कई संतों की वाणी को संकलित किया गया है। यद्यपि इसे गुरुमुखी लिपि में लिपिबद्ध किया गया है किंतु भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में गुरुबाणी के शबद मार्गदर्शन करते हैं। गुरुगोविन्द सिंह की ''चण्डीचरित्र'' सहित समस्त कृतियाँ बृजभाषा में हैं।

भारत के संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को चुना गया है। अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। राजभाषा के उपबंधों, नियमों, अधिनियमों के अनुपालन के कारण भारत के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग दिखाई देता है। केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के कारण भी हिंदी ने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। भारतीय रेलवे एवं बैंकों का इसमें काफी योगदान है।

यद्यपि आज टेलीविज़न के विभिन्न चैनल एवं चलचित्र पूर्णतः व्यापारिक दृष्टि से अपना कार्य करते हैं। लेकिन व्यापार की संभावनाओं को देखते हुए वे हिंदी को अपनाने पर मजबूर हुए हैं। जब भाषा आर्थिक सरोकारों से जुड़ जाती है तो उसके प्रसार में आसानी हो जाती है। टेलीविज़न एवं चलचित्रों के इसी गणित के कारण आज हम अपने देश में ही एक दूसरे को दूर समझने वाले काफ़ी निकट आए हैं।

अभी पिछले दिनों श्री अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी मुहिम छेड़ी थी। यदि भाषा के आधार पर देखा जाए तो पूरा का पूरा अभियान हिंदी भाषा में था। वे यह जानते हैं कि यदि हम इसे अंग्रेज़ी में चलाएँगे तो इसको अपेक्षित गति प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें जुड़े अन्य लोगों के अतिरिक्त मैनेजमेंट गुरू अरिंदम चौधरी तक ने अपना सम्भाषण हिंदी में ही दिया और लोगों ने उनकी सोच को आत्मसात किया था। श्री अमिताभ बच्चन द्वारा संचालित केबीसी के अति प्रसिद्धि के मूल में उनकी हिंदी भाषा में मजबूत पकड़ है। लोग उन्हें अपने बीच का ही व्यक्ति मानने लगते हैं और दिल की बातें करते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय भी अपनी मातृभाषा में बात करके अपने को संतुष्ट महसूस करते हैं और अपने आपको अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ समझते हैं। कुछेक समस्याएं हैं जिन्हें हम आपसी पहल से दूर कर सकते हैं। इसमें किसी राजनीतिक हस्तक्षेप की भी आवश्यकता नहीं है और वह किन्ही अनागत मजबूरियों वश विवश भी हैं। हमें उनके प्रयासों की प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिए। वह पहल यह है कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का भी समान आदर करें और प्रयोग करने के अभ्यास का प्रयास करें। इससे हम आपस में और एक दूसरे के दिलों के क़रीब आएंगे, जिससे हिंदी भी समृद्ध होगी। हिंदी का विशाल हृदय है। जिस प्रकार समुद्र कभी भी नदियों को आने से नहीं रोकता है उसी प्रकार हिंदी को भी अन्य भाषाओं के शब्दों, लोकोक्तियों और मुहावरों को आने से नहीं रोकना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को हिंदी-अंग्रेज़ी के साथ एक अन्य क्षेत्रीय भाषा की जानकारी अवश्य उपलब्ध करवाएँ ताकि आने वाले समय में भाषिक आधार पर एकता में रुकावट न आए और कोई विदेशी भाषा हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने न पाए। हिंदी समर्थ और शालीन भाषा है। इसके माध्यम से ही राष्ट्रीय एकता की कड़ी को और मबजूत किया जा सकता है।

आंचलिक कार्यालय, लखनऊ

समय प्रबंधन

- जे. एस. कोचर

ज़िंदगी है चलने का नाम, निरंतर चलते रहना है इसका काम। समय कभी रुकता नहीं, चलता ही रहता है। जो समय एक बार बीत गया वह वापिस कभी नहीं आता। इसलिए समय के सदुपयोग तथा प्रबंधन के महत्त्व को समझना अत्यावश्यक है। प्रायः देखा गया है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत कार्य होते हैं, वह हर कार्य के लिए समय निकाल कर, सभी कार्य बहुत अच्छे से कर पाता है परंतु जिस व्यक्ति के पास अधिक काम नहीं होता, वह प्रायः यह कहते देखा गया है कि 'क्या करूँ मेरे पास समय ही नहीं है।' शायद जिस व्यक्ति के पास करने को बहुत कार्य है - वह समय की महता को समझ पाता है तथा समय के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देता है। दूसरी ओर जिस व्यक्ति के पास करने को अधिक कार्य नहीं है, वह समय के महत्त्व से अनजान, समय को व्यर्थ गवा देता है। कहते हैं :

सौद्यमी को सुसमय कहाँ नही मिल पाता,

समय को नष्ट कर सौख्य कोई भी नहीं पाता।

समय के सदुपयोग तथा प्रबंधन के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

1. काम को टालने की आदत छोड़िए : जो काम आज हो सकता है, उसे बिना वजह टालने से - आलस्य की भावना पनपती है। "आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो, अभी क्या जल्दी है, अभी तो जीना है बरसों" ऐसे विचार तो एक आलसीपन और निकम्मेपन को व्यक्त करते हैं। कर्मयोगी तो कहते हैं - "कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब"।

2. हमें डायरी में नोट करना चाहिए किस दिन कौन सा काम करना है। अर्थात् कार्य की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाना ज़रूरी है। हर काम के फॉलो-अप के लिए दैनिक सारिणी जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे सभी काम सुनिश्चित तरीके से चल रहे हैं - यदि नहीं तो उनमें समय रहते आवश्यक परिवर्तन किये जा सकें। यह कार्य डायरी, कम्प्यूटर, आई पैड/टैबलेट आदि द्वारा किया जा सकता है तथा दिन-प्रतिदिन उस दिन अगले दिन की मीटिंग तथा कार्य-सूची सामने आ जायेंगे।

3. हर रोज़ शाम/रात को अगले दिन को किये जाने वाले कार्यों, की सूची तैयार कर लेनी चाहिए तथा विभिन्न कार्यों के लिए समय निर्धारण कर लेने चाहिए। जो काम अलग-अलग लोगों को करने को कहना है - उनकी अलग-अलग सूची भी बना लेनी चाहिए ताकि अगले दिन उन सभी लोगों को उनके द्वारा वांछित कार्यों की सूची दी जा सके।

4. अगले दिन शाम/रात को उस दिन के लिए जो कार्य सूची-बद्ध किये गए थे, का ब्यौरा लिया जाए तथा सोचा जाए कि उनमें से कितने काम हो पाये तथा कितने नहीं हो पाये तथा क्यों नहीं हो पाये। उसके बाद अगले दिन के कार्यों की योजनाबद्ध सूची बनाई जाये। जिनमें जो काम उस दिन नहीं हो पाये, को भी शामिल किया जा सकता है।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त, एक सूची सभी किये जाने वाले कार्यों की अलग से भी बनाई जाए। जिसमें से जो काम हो जाए, उसे काट दिया जाए तथा जो नए काम याद आएं को जोड़ दिया जाये। इस सूची को दिन-प्रतिदिन देखा जाए ताकि कोई भी आवश्यक कार्य ध्यान से न उतर जाए।

6. किसी भी दिन किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करते

समय-उन कार्यों को उनकी महत्ता/आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता देना ज़रूरी है। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अनावश्यक अथवा कम महत्त्व के कार्य पर अधिक समय लगाने से कोई अधिक अनिवार्य कार्य छूट जाने का डर ख़त्म हो जायेगा। किस कार्य को स्वयं करना है अथवा किस कार्य को ख़त्म किया जा सकता है, पर भी स्वयंमय विचार हो जायेगा।

7. Time Measurement and Work Study जैसे कई अध्ययन हमें इस बात का ज्ञान देते हैं कि किस काम के लिए कितना समय मानक है। हमें सदैव जहाँ पर ऐसे मानक उपलब्ध हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम आवश्यकता अनुसार अपनी कार्य-कुशलता को बढ़ायें। जहाँ संभव हो हमें PERT-CPM (Programme Evaluation & Review Technique तथा Critical Path Method) चार्ट बनाकर यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्रोजैक्ट समयानुसार पूरे करें। जो-जो काम बिन्दु समान्तर हो सकते हैं, उन्हें साथ-साथ करें ताकि प्रौजेक्ट समयबद्ध रूप से पूरे हों। हम दिल्ली मैट्रो से यह सबक ले सकते हैं कि दिल्ली मैट्रो ने दुनिया को दिखा दिया है कि सभी प्रौजेक्ट समय प्रबंधन का अनुसरण कर कार्यकुशलता से निर्धारित समय-सीमा से पूर्व पूरे किए जा सकते हैं। जहाँ चाह, वहाँ राह। आवश्यकता है समय प्रबंधन का पालन कर कार्यकुशलता बढ़ाने की।

एक सर्वे से पता चला है कि एक आदमी दिन में कम से कम पचास बार डिस्टर्ब होता है। यह डिस्टरबंस फ़ोन कॉल्स, ऑफ़िस के लोगों और दूसरे कारणों से हो सकता है। आज के समय में फ़ोन रखना अपने आप में ज़रूरत बन गया है लेकिन ये भी सच है कि यह समय भी बहुत बर्बाद करता है। इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है कि फोन का इस्तेमाल बहुत सीमित किया जाए, जितना ज़रूरी हो केवल उतनी ही बातें करें और फालतू में गप्प न लड़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो समय के साथ ही पैसे की बचत कर सकते हैं। जहाँ तक ऑफ़िस के लोगों की बात है तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ के लोगों से बातचीत ज़रूरी है लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बातचीत समय काटने का माध्यम न बने।

कई बार लोग किसी चीज के आदी हो जाते हैं जो उनके समय-प्रबंधन के लिहाज से सही नहीं है। मान लिया कोई आदमी कम्प्यूटर का एडिक्ट हो गया तो भले ही काम हो या न हो लेकिन वह कम्प्यूटर का इस्तेमाल करेगा। इससे उसका समय बर्बाद जाएगा साथ ही यह आदत उसके स्वास्थ्य के लिहाज से भी ठीक नहीं होगी।

बिल गेट्स के पास भी दिन के 24 घंटे होते हैं और एक आम आदमी के पास भी। लेकिन उन्ही 24 घंटों में बिल गेट्स दुनिया का सबसे धनी इंसान है। बिल गेट्स की तरक्की के दूसरे भी कई कारण हैं लेकिन समय का प्रबंधन भी एक बड़ा कारण हे जिसे नकारा नहीं जा सकता है।

यह कहना गलत न होगा कि हमें अन्य क्षेत्रों की तरह बैंकों में भी कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए समय-प्रबंधन तथा समय सदुपयोग की आवश्यकता है। बैंकों में तो बहुत प्रकार के दिनचर्या के कार्यों के लिए समय मापदण्ड बनाये जा चुके हैं। समय मापदण्डों को लिखकर लटकाया जाना ही पर्याप्त नहीं, आवश्यकता है इन पर अमल करने तथा कार्य-कुशलता बढ़ाने की।

- सेवा निवृत्त महाप्रबंधक

श्री बी. जी. मल्होत्रा, सहायक महाप्रबंधक, सतर्कता विभाग के आकस्मिक निधन पर पीएसबी परिवार शोक प्रकट करता है। श्री मल्होत्रा अपनी निष्ठा, समर्पण एंव मृदु स्वभाव के कारण सदैव याद किए जाएंगे। बैंक में अपने 35 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने बैंक के विभिन्न विभागों में अपनी मेहनत व कर्मठता से कभी न भूलने वाली छाप पीएसबी परिवार के सदस्यों के हृदय पर अंकित की। पीएसबी परिवार शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ सहानुभूति प्रकट करता है।

वित्तीय समावेशन : भविष्य की आवश्यकता, समस्याएँ एवं समाधान

- परमजीत सिंह बेवली

प्रस्तावना :

वित्तीय समावेशन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की अहम भूमिका है। केंद्रीय बैंक को वित्तीय समावेशन की दिशा में बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सघन निगरानी रखने के साथ-साथ उन्हें यथासमय समुचित मार्गदर्शन प्रदान करना भी है। भारत देश की ज़्यादातर आबादी विकास से कोसों दूर है। किसी भी देश के लिए विकास प्रक्रिया का निरंतर बना रहना अत्यंत आवश्यक है। विकास प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का क्रियाशील होना आवश्यक है, चाहे वह अमीर हो या ग़रीब। समाज के इस बड़े लेकिन उपेक्षित और वंचित वर्ग को विकास के लिए बैंकिंग दायरे में लाना ही वित्तीय समावेशन है। वित्तीय समावेशन के समन्वय से निश्चित ही विकास प्रक्रिया, देश की अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं।

परिभाषा :

बैंकिंग के संदर्भ में वित्तीय समावेशन का अभिप्राय है कि अब तक बैंकों से दूर रह गए लोगों (चाहे शहर से हो अथवा गाँव से) तक वित्तीय सेवाएं पहुँचाना। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है - ''समाज के कमज़ोर एवं वंचित वर्ग को सस्ती दर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना।'' बैंकिंग सुविधाओं से तात्पर्य: खाते खोलना, ऋण, भुगतान, प्रेषण, बीमा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा को पूरा करने के लिए बैंकिंग उद्योग को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। भारतीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच चुके हैं, अब आवश्यकता है, वित्तीय समावेशन के माध्यम से समाज के ग़रीबतम लोगों तक पहुँचने की तथा उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने की। यह कार्य उतना आसान नहीं है जितना कि आसान लगता है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का आभाव हैं, यह भी सत्य है कि जो लोग बैंकिंग दायरे से बाहर है वे बैंकों और बैंकिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते और न ही वे स्वयं बैंकों से कोई संबंध बनाने में रुचि रखते हैं, यह लोग पीढ़ियों से ऋण ग्रस्तता को भोग रहे हैं, फिर भी न तो बचत कर पाते हैं और न ही उसका महत्व समझ पाते हैं। इस स्थिति को पूर्ण रूप से बदलने के लिए हमारे विकास प्रक्रिया में वित्तीय समावेशन को और समाविष्ट करना ज़रूरी हो जाता है।

वित्तीय समावेशन - एक परिचय :

हमारे देश के संतुलित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन की अवधारणा को समझना होगा। भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन पर ज़ोर दे रही है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने समस्त बैंकों को विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने तथा इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ हटकर कदम उठाने के लिए कहा है। वित्तीय रूप से वंचित लोगों की बैंकों तक पहुँच बढ़ाने के लिए तथा उन्हें अनौपचारिक संस्थाओं के जाल से निकालने के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करना होगा। अगर ये कहा जाए कि वित्तीय-समावेशन ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना है, जो अभी तक बैंकिंग से वंचित है - तो गलत नहीं होगा।

वित्तीय समावेशन और चुनौतियाँ :

वित्तीय रूप से वंचित लोगों को बैंकिंग की आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना इतना आसान कार्य नहीं जितना यह आसान लगता है। आर्थिक तथा सामाजिक विषमता, समाज का राजनीतिकरण, भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद को बढ़ावा तथा धार्मिक अंधानुकरण, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों की परंपरागत समस्याएँ ऐसी चुनौतियाँ हैं जो विकास प्रक्रिया तथा वित्तीय समावेशन के लिए बाधाएं बनी हुई है।

1. अशिक्षा :

   देश में जहाँ साक्षरता अनुपात तक़रीबन 66 प्रतिशत (जनगणना 2001), वहीं वित्तीय साक्षरता तो और भी कम है। भारत में उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है जो लिख और पढ़ सकता है। (भले ही समझ न सकता हो), किंतु क, ख, ग जान लेने मात्र से ही वित्तीय मामलों को समझ लेना इतना आसान नहीं है।

2. शाखा से दूरी :

वित्तीय समावेशन की राह में एक बड़ा रोड़ा है - शाखा से दूरी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों में यह स्थिति और भी ख़राब है। कुछेक गाँवों से शाखाएँ इतनी दूर हैं कि आने-जाने में ही आधा पहर लग जाता है और फिर लेन-देन के लिए तो पूरा दिन ही चाहिए।

3. फ्रंटलाइन काउंटरों पर कार्यरत स्टाफ़ सदस्यों का व्यवहार :

कतिपय मामलों में शाखा के फ्रंट-लाइन स्टाफ़-सदस्यों का व्यवहार भी अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय समावेशन को उसके मुकाम तक पहुँचने से रोक रहा है। कुछेक स्टाफ़-सदस्यों का व्यवहार इतना उपेक्षापूर्ण रहता है कि आम ग्राहक डरते हुए शाखा में घुसता है, हमेशा आशंकित रहता है कि कब डपट लग जाए। ऐसी स्थिति में वर्तमान ग्राहक किस विश्वास के साथ अन्य लोगों को बैंक से जोड़ने का साहस कर सकता हैं। यह सोचने तथा फ्रंट-लाइन स्टाफ़ सदस्यों के व्यवहार में सुधार लाने की आवश्यकता है।

4. जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति :

सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद आज भी भारतवर्ष की जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। वित्तीय रूप से वंचित लोगों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि होती जा रही है।

5. साहूकारों का प्रभाव कम न होना :

वित्तीय संस्थाओं का असहयोग, ऊँची ब्याज दरें, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का अभाव, ऐसी स्थितियां हैं जो साहूकारों के प्रभाव को कम नहीं होने देती, जिससे ग्रामीण हमेशा कर्ज़ में ही डूबा रहता है।

6. लागत :

आज लाभप्रदता बैंकों का प्रमुख ध्येय बन गया है। ऐसे में नो-फ्रिल खाते खोलने एवम् उनके रख-रखाव में जो लागत आती है वह उनसे होने वाली आय से कहीं अधिक है।

7. उत्पादों का समुचित मूल्य न होना :

बैंकों के कुछेक उत्पाद सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से महंगे हैं। उदाहरण स्वरूप एक सौ रूपए का आऊट स्टेशन चैक जमा करने पर जितना हाथ लगता है, उतना ही कमीशन के रूप में चला जाता है।

8. निष्क्रिय खाते :

वर्ष 2005 से चालू वित्तीय समावेशन अभियान के तहत अभी तक जितने नो-फ्रिल खाते खोले गए है। उनमें से ज़्यादातर खाते निष्क्रिय हो गए हैं।

9. उन्नत तकनीक का अभाव :

डोर-टु-डोर सेवा देने हेतु बैंकों के पास उन्नत तकनीक का अभाव-वित्तीय समावेशन की राह में बड़ी बाधा है।

10. ऋण की वसूली एक गंभीर समस्या :

बैंकों का यह अनुभव रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) तथा अन्य सब्सिडीशुदा योजनाओं में एन.पी.ए. का प्रतिशत काफी बढ़ रहा है। लोग पैसा लेना तो जानते हैं पर चुकाना नहीं।

समाधान अर्थात निवारण के उपाय :

वित्तीय समावेशन में आने वाली समस्याओं का आर्थिक पहलुओं तथा सामाजिक पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैंकिंग उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है जिससे बैंक की लाभ प्रदता बढ़ाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। बचत के रूप में घर में बेकार पड़ा हुआ धन बैंकिंग के माध्यम से देश के आर्थिक विकास के काम आएगा। ग़रीब लोगों के बैंकिंग से जुड़ने से आर्थिक वृद्धि दर में तेज़ी से वृद्धि होगी। विभिन्न सरकारी योजनाएं जैसे रोज़गार गारंटी योजना, पैंशन योजना आदि के अन्तर्गत आने वाले मज़दूरों को बैंक के माध्यम से ही भुगतान प्रदान करने से बैंकिंग की आदत डाली जा सकती है। दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले ग़रीब लोगों को या मजदूरों को बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड द्वारा बैंकिंग से जोड़कर आर्थिक विकास से बैंकों का ग्राहक-आधार बढ़ेगा।

'वित्तीय समावेशन की राह से सारी बाधाएं हटाए जाना भले ही संभव न हो, किंतु उन्हें पार अवश्य किया जा सकता है।'

- आंचलिक कार्यालय, लुधियाना

सिक्का संकट

- कामेश सेठी

हमारे देश में सिक्कों की उपलब्धता भी मानसून की तरह अनिश्चित है। कुछ वर्ष पहले तक बाज़ार में सिक्कों की उपलब्धता इतनी अधिक थी कि लोग सिक्कों को लेने से कतराते थे लेकिन आज बाज़ार में सिक्कों के लिए मारा-मारी है। पाँच, दो एवं एक का सिक्का बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। आप यदि बाज़ार में पाँच सौ का नोट ढूँढेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। जबकि पाँच का सिक्का शायद उतनी आसानी से नहीं मिलेगा।

आज सभी वर्ग के लोग इस छोटी सी चीज के लिए परेशान हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब आती है जब आपकी ट्रेन छूटने वाली हो और टिकट देने वाला आपसे कहे कि दो रूपये दीजिए और आप जेब टटोलते रहते हैं फिर इधर-उधर देख कर मायूस हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण बहुत मिलेंगे, बाज़ार में विशेषत सब्ज़ी खरीदते समय, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, बस, फोटेस्टेट की दुकान पी.सी.ओ. मेडिकल स्टोर, बुक-स्टाल में पैसे देते हुए।

सभी लोग बस इस परेशानी को दबी ज़ुबान में असहाय हो कर झेलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन सभी का कारण क्या है? आइए इन कारणों को भी देखते हैं।

1. सिक्कों की सप्लाई या आवक, माँग से काफी कम होना अर्थात् जितनी मात्रा में सिक्के बाजार में उपलब्ध होने चाहिएं उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है।

2. किसी वस्तु की बाज़ार में कमी उसको और अभावग्रस्त बना देती है। कैसे?सिक्कों की बाजार में कमी, सभी लोगों को अपने पास और अधिक मात्रा में संग्रह करने की ओर प्रेरित करता है। फलतः सिक्का संकट और गहरा हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति यदि दो सौ रूपये के सिक्के का संग्रह हमेशा रखता है तो अनुमान लगा लीजिए कितनी मात्रा में सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी।

3. मुद्रा स्फीति या महंगाई के कारण सिक्कों के महत्व में भी जबर्दस्त कमी आई है। आज एक रूपये की कोई वस्तु ही बाज़ार में उपलब्ध नहीं है फलतः लोगों ने इसको अहमयित देना बंद कर दिया है।

4. सिक्कों का लोग व्यापार करने लग गये हैं लोग इसको ग़ैर कानूनी तरीके से जमा कर वस्तुओं का निर्माण करने लग गये हैं।

5. कुछ लोग धार्मिक कारणों से नदियों, जलाशयों, कुओं एवं ऐसी जगहों पर सिक्के फेंक देते हैं जहाँ से सिक्कों का वापिस बाज़ार में आकर चलना असंभव हो जाता है। यह भी सिक्कों की बाज़ार में कमी का बहुत बड़ा कारण है।

सिक्कों के संकट से निपटने के उपाय :

1. जगह-जगह पर ए.टी.एम. की तरह सिक्का डिस्पैंसिंग मशीन लगा दी जाए।

2. बैंकों को इसके लिए आगे आकर सिक्कों में मोबाईल बैंकिंग के जरिये उन लोगों तक सिक्का वितरण करना चाहिए जो बैंकों तक नहीं पहुँच पाते है। जैसे छोटे-छोटे सब्ज़ी बेचने वाले लोग, मेडिकल स्टोर, फोटो-कॉपी शॉप, ऑटोरिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड इत्यादि।

3. सिक्कों का पहले की अपेक्षा और अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए।

4. वितरण के लिए बैंक, एन.जी.ओ. का सहारा ले सकते हैं। जो कि स्वेच्छा से जगह-जगह जा कर निःस्वार्थ भावना से लोगों तक सिक्कों को पहुँचाएं।

5. धार्मिक स्थलों में जलाशय नदियों इत्यादि में सिक्कों को प्रवाह करने से रोकना चाहिए और इस के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और ज़रूरत से अधिक सिक्कों के संग्रहण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

ऐसे ही प्रयासों से हम सब मिलकर सिक्कों के अभाव को बाज़ार में ख़त्म कर सकते हैं।

- शाखा साकची, जमशेदपुर

झूठ का सच

- कमल रूप सिंह गोइंदी

झूठ देखने में काफ़ी छोटा शब्द प्रतीत होता है। यह शब्द वर्णमाला के केवल दो अक्षरों के योग से बना है, लेकिन इसका कार्य-क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। यह शब्द तथा इसके पर्याय समस्त विश्व में व्याप्त हैं। इस शब्द का प्रयोग आधुनिक मनुष्य ही नहीं बल्कि आदि-काल से देवी-देवता भी आपसी लड़ाई तथा एक दूसरे को तुच्छ दिखाने के लिए प्रयोग में लाते रहे हैं और ऐसा कहा जा सकता है कि जब तक इस संसार में मनुष्य का अस्तित्व रहेगा झूठ भी फलता-फूलता रहेगा।

किसी बात को समझते-बूझते ग़लत अर्थ में प्रस्तुत करने को झूठ कहा जा सकता है। बचपन में बच्चे किसी चीज़ को पाने या कोई काम ख़राब हो जाने पर मार के डर से झूठ बोलते हैं। कुछ बड़े होने पर परीक्षा में नंबर कम आने पर या फिर कॉलेज से छूटकर फ़िल्म देखने पर माता-पिता की डांट से बचने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार शादी के बाद तो लोगों का छोटी-छोटी बातों के लिए अपनी पत्नी के सामने झूठ बोलना एक आम बात है। दफ़्तर में लेट पहुँचने पर या किसी काम के समय पर न कर पाने पर अपने बॉस से झूठ बोलने के अनेक उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि सामान्यतः झूठ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही बोला जाता है अर्थात् झूठ का प्रयोग तभी माना जाएगा जब इसके सहारे कुछ स्वार्थ सिद्ध होता हो।

इस प्रकार एक बात स्पष्ट हो जाती है कि झूठ सदैव किसी लाभ के लिए ही नहीं बोला जाता। कुछ लोग झूठ केवल आदतन बोलते हैं। कुछ लोगों को झूठ बोलने में आनंद आता है तो कुछ लोग दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की गरज़ से भी झूठ बोल देते हैं। कभी-कभी मजबूरी में भी झूठ बोलना पड़ता है तो कभी अपने किसी साथी को किसी मुश्किल से उबारने के लिए भी झूठ का सहारा लेना पड़ जाता है। परंतु अधिकतर झूठ व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी पर रौब डालने के लिए ही बोले जाते हैं। हाँ, कभी-कभी परिस्थितिवश भी झूठ बोलना पड़ता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी संकट में फंस जाए और वह महसूस करे कि बिना झूठ बोले वह इस में से नहीं निकल सकता, तो मजबूरन उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। झूठ के सहारे उस संकट विशेष से निकलने के बाद जब वह राहत महसूस करता है तो उसके मन में यह विचार आने लगता है कि झूठ तो संकट से निकलने की एक चाबी है और वह झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है और एक दिन वह अपने को झूठ का दास बना लेता है।

झूठ शब्द को लेकर हमारे साहित्य में बहुत से मुहावरे भी प्रचलित है - झूठ के पाँव नहीं होते इसका अर्थ है कि झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, सामान्यतः यह समझा जाता है कि पैर न होने के कारण झूठ बोलने वाला शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। लेकिन आधुनिक युग में इस मुहावरे का अर्थ है कि मिथ्याचारी अपने शब्दों के सहारे झूठ को बड़ी निष्ठा व लगन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। इस प्रकार उसे चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह तो सिर चढ़ कर स्थान परिवर्तन करता है। आज पहला अर्थ कुछ ख़ास महत्व नहीं रखता। झूठ बोलने वाला पकड़ा तो क्या जाएगा वह उसके सहारे सफ़लता की एक सीढ़ी और चढ़ जाता है और इस प्रकार सच को मुँह चिढ़ा जाता है।

कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। परन्तु वर्तमान काल में ऐसा लगता है कि भगवान को भी झूठ सुनने और देखने की आदत सी पड़ गई है। सच को सामने पाकर वह भी काँप उठता है और अपनी आँखे ऐसे मूंद लेता है जैसे बिल्ली को सामने पाकर कबूतर करता है। इसी कारण आज एक सच्चा इंसान जो कि सत्य को ही धर्म मानता है और जिसने सच का दामन कभी नहीं छोड़ा वह सच की आग में तब तक जलता रहता है जब तक उसके ज्ञान-चक्षु खुल नहीं जाते और फिर वह भी झूठ की साफ़-सुथरी राह पर अग्रसर नहीं हो जाता। सचमुच यह चमत्कार उसी की कृपा से तो संभव हुआ अन्यथा वह बेचारा इंसान सच के गहन अंधेरे में घुटकर दम तोड़ देता। देर-सवेर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सवेरा तो होना ही होता है। तभी तो बरबस मुँह से निकल जाता है - उसके घर में देर है अंधेर नहीं।

आज के युग में सच की बुनियाद पर बनी इमारत उसी प्रकार ढह जाती है जैसे किसी भ्रष्ट ठेकेदार द्वारा बनाया गया कम सीमेंट का पुल। इसी प्रकार कोई बात तब तक असरदार नहीं बनती जब तक

उसमें कुछ झूठ शामिल न कर लिया जाए। झूठ में लपेट कर कही गई बात को सुनने वाले धन्य हो जाते हैं। उनके कानों में जब झूठ की अमृत-वाणी प्रवाहित होती है तो उन्हें जिस प्रकार का सुख प्राप्त होता है उसका शब्दों में वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत जो बात मात्र सच ही बताई जाए उसे सुनकर सभी मुँह बिचका कर या उसे झूठ बतलाकर उस व्यक्ति से कन्नी काट लेते हैं।

ऐसा माना जाता है कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है वह रोटी की भांति उतना ही फूलती है। आधुनिक युग में आदमी को भगवान के नाम से अधिक झूठ नामक रामबाण का सहारा प्राप्त है। किसी भी वस्तु का विज्ञापन लें, उस वस्तु के गुण तथा उपयोगिता को जानते-बूझते उसका निर्माता विज्ञापन में ऐसी-ऐसी बातें कहेगा जो उसमें मौजूद नहीं होतीं। यह झूठ वह अपनी जेब भरने के लिए बोलता है। क्योंकि वह जानता है कि बिना इस बैसाखी के उसकी वस्तु बाज़ार में टिक नहीं पाएगी। इसी प्रकार रोज़मर्रा की छोटी-छोटी चीजें बेचने वाले अपने ग्राहकों से झूठ-सच बोलते हैं और सोने पे सुहागा यह कि झूठ बोलते समय अपनी रोज़ी, रोटी की या बीवी-बच्चों की कसमें भी खाते रहते हैं। अक्सर अपने मोहल्ले में सब्ज़ी बेचने वाले को कहते सुना होगा, 'झूठ नहीं बोलूंगा, बीबी जी, अभी-अभी बत्ती जलाई है, या देखो न मैं अपनी रोज़ी पर बैठा हूँ, झूठ थोड़े न बोलूंगा'' आदि-आदि। इस प्रकार न चाहते हुए भी वह अपने झूठ का प्रमाण भी साथ-साथ देते रहते हैं।

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम अपने सामाजिक वातावरण पर जब एक नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि यदि झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो जीवन में काफ़ी नीरसता आ जाएगी और वह बेस्वाद हो जाएगी क्योंकि यह झूठ ही है जो हमारे सामाजिक जीवन में नमक का काम करता है। यदि आप इसका असर देखना ही चाहते हैं तो ज़रा अपने खाने-पीने से नमक को निकाल कर देखिए, उसकी अहमयित आपके सामने होगी। यह भी सत्य है कि झूठ के बिना हमारे जीवन में केवल नीरसता ही नहीं आएगी बल्कि हमारे आपसी संबंधों में भी दरारें पड़ने लगेंगी और तब शायद संभव है मनुष्य का समाज में रहना भी मुश्किल हो जाए।

लगभग सभी धर्म-ग्रंथों में झूठ पर अनेक प्रकार के उपदेश दिए हुए हैं। इस संबंध में भागवत तथा वशिष्ठ संहिता में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ हैं :-

स्त्रीषु नर्मविवाहेच वृत्यर्थे प्राणसंकटे

गोप्राणरायेहिंसाया नाडनृतस्याज्जुगुप्सितम्।

भागवत्

उथाडकालेरतिसम्प्रयोगेप्राणत्येय सर्वध्यानापडारे

विप्रस्यचार्ये ऋनतवदेये पश्या नृतान्याहुरपात कानि।

वशिष्ठ संहिता

जिसका अर्थ है - ''औरतों के साथ हंसी-ठट्ठा में बोला गया झूठ, शादी-ब्याह के समय, अपनी रोज़ी बचाने के लिए, धन का नाश होते देखकर, गाय या ब्राह्मण के हित के लिए तथा हिंसा को रोकने के लिए बोला गया झूठ, पाप नहीं माना जाता।''

गरज़ यह कि आप झूठ बोलिए और बेझिझक बोलिए, ध्यान केवल इतना रखना है कि झूठ इतने विश्वास के साथ बोला जाए कि सुनने वाला आपके झूठ से इतना प्रभावित हो जाए कि वह जगह-जगह आपके सच्चे होने के प्रमाण देता फिरे।

- प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर पत्रिका का विगत दो दशकों से सफल प्रकाशन किया जा रहा है। इस प्रकाशन में राजभाषा हिंदी के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बैंकिंग, कंप्यूटर एवं मानव-संसाधन से जुड़े लेखों के प्रकाशन के साथ-साथ हास्य-व्यंग्य, कविता, ग़ज़ल का प्रकाशन किया जाता है। स्टाफ़-सदस्यों के बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ, बाल-कविताएँ, स्कैच, पेंटिंग को भी यथोचित स्थान प्रदान किया जाता है। इसे बहुआयामी, प्रेरक और प्रोत्साहन माध्यम बनाने के लिए सभी का सहयोग एवं मार्गदर्शन अपेक्षित है। राजभाषा विभाग में आपके मूल लेख, कविता, सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं।

मुख्य संपादक
पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. राजभाषा विभाग
21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

नई शाखाएँ

दिनांक 08 जून 2012, शाखा कपूरे, मोगा।

दिनांक 15 जून 2012, शाखा किला लाल सिंह, गुरदासपुर।

दिनांक 29 जून 2012, शाखा साध नगर, पालम कालोनी।

दिनांक 29 जून 2012, शाखा गदरपुर, उधम सिंह नगर।

दिनांक 12 जुलाई 2012, शाखा कुल्लू।

दिनांक 21 जुलाई 2012, शाखा काशीपुर।

दिनांक 31 जुलाई 2012, शाखा बानीतावला, हावड़ा।

दिनांक 09 अगस्त 2012, शाखा धरमकोट, मोगा।

नई शाखाएँ

दिनांक 16 अगस्त 2012, शाखा रोमना अजीत सिंह।

दिनांक 17 अगस्त 2012, शाखा सुभाष नगर, नई दिल्ली

दिनांक 17 अगस्त 2012, शाखा गैली, मोगा।

दिनांक 18 अगस्त 2012, शाखा मलके, मोगा।

दिनांक 21 अगस्त 2012, शाखा डोड।

दिनांक 21 अगस्त 2012, शाखा अमेठी।

दिनांक 22 अगस्त 2012, शाखा मौली, जागरां

दिनांक 22 अगस्त 2012, शाखा मालवीय नगर।

नई शाखाएँ

दिनांक 23 अगस्त 2012, शाखा सोलन।

दिनांक 27 अगस्त 2012, शाखा ब्रुकफील्ड, बंगलुरु।

दिनांक 27 अगस्त 2012, शाखा अहमदनगर।

दिनांक 30 अगस्त 2012, शाखा नथाना।

दिनांक 30 अगस्त 2012, शाखा मोहाली।

दिनांक 8 सितंबर 2012, शाखा जेवर रोड, इब्राहिमपुर, खुर्जा।

शाखा स्थानांतरण

दिनांक 28 मई 2012, शाखा हरी नगर, नई दिल्ली।

दिनांक 25 जुलाई 2012, शाखा प्रशांत विहार, नई दिल्ली।

प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित

हिंदी दिवस की झलकियाँ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पखवाड़ा समापन समारोह

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय

(भारत सरकार का उपक्रम)

भारत सरकार वित्त-मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की राजभाषा कार्यान्वयन विकास विभाग द्वारा आयोजित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा

समिति की 133वीं बैंठक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और कार्यान्वयन समिति की 130वीं बैठक, दिनांक 11 सितंबर 2012

आंचलिक कार्यालय स्तर पर आयोजित

आं. का. फरीदकोट

आं. का. लखनऊ

आं. का. जालंधर

आं. का. पटियाला

आं. का. मुम्बई

आं. का. नई दिल्ली-II

आं. का. गुरदासपुर

आं. का. होशियारपुर

हिंदी दिवस की झलकियाँ

आं. का. देहरादून

आं. का. नई दिल्ली-I

स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़

आं. का. चंडीगढ़-I

आं. का. चंडीगढ़-II

स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय

आं. का. बठिण्डा

आं. का. अमृतसर (शहरी)

हिंदी-पंजाबी कार्यशालाएँ

दिनांक 25.06.2012, आं. का. दिल्ली-III

दिनांक 21.07.2012, आं. का. होशियारपुर

दिनांक 18.08.2012, आं. का. मुम्बई

दिनांक 24.08.2012, आं. का. चंडीगढ़-I

दिनांक 28.08.2012, आं. का. गुरदासपुर

दिनांक 29.08.2012, आं. का. हरियाणा

दिनांक 29.08.2012, आं. का. दिल्ली-II

हिंदी-पंजाबी कार्यशालाएँ

दिनांक 29.08.2012, आं. का. बरेली

दिनांक 20.06.2012, आं. का. जालंधर

दिनांक 29.08.2012, आं. का. दिल्ली-I

दिनांक 04.09.2012, आं. का. फरीदकोट

दिनांक 05.09.2012, आं. का. अमृतसर (शहरी)

दिनांक 28.08.2012, आं. का. लखनऊ

दिनांक 29.08.2012, आं. का. चंडीगढ़-II

राजभाषा समाचार

बैंक की गृह-पत्रिका राजभाषा अंकुर के जून 2012 अंक का विमोचन करते हुए कार्यकारी निदेशक श्री पी. के. आनन्द एवं अन्य उच्चाधिकारीगण।

दिनांक 07 जून 2012 को 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' करनाल के तत्वावधान में हमारे बैंक द्वारा राजभाषा प्रशासनिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर लिए गए छायाचित्र।

अखिल भारतीय स्तर पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में प्रधान कार्यालय में कार्यरत श्रीमती नीलम मल्होत्रा, प्रबंधक (ई.डी.पी.) को नगद 6000 रु. का पुरस्कार प्रदान किया गया। पीएसबी परिवार की ओर से इन्हें हार्दिक बधाई।

परिवर्तन जन कल्याण समिति के तत्वावधान में तीसरा हिंदी महाकुम्भ व साहित्य सृजन सम्मान सम्मेलन 2012 के आयोजन के दौरान डॉ. वेद प्रताप वैदिक वरिष्ठ साहित्यकार एवं इतिहासकार के हाथों प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग के प्रभारी डॉ. चरनजीत सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक 'राजभाषा सेवा श्री सम्मान' ग्रहण करते हुए।

राजभाषा समाचार

दिनांक 13.08.2012 को वित्त-मंत्रालय, (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा हमारे प्रधान कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर श्री चन्द्र प्रकाश डोंडियाल, संयुक्त निदेशक तथा श्री देवेन्द्र पाल, सहायक निदेशक का स्वागत करते हुए श्री डी. डी. नाग, महाप्रबंधक।

श्री शैलेश कुमार सिंह, उपनिदेशक, गृह-मंत्रालय के हाथों चण्डीगढ़ बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से राजभाषा शील्ड ग्रहण करते हुए श्री हरपाल सिंह, उप महाप्रबंधक, श्री इंद्रजीत सिंह, मुख्य प्रबंधक तथा श्री राजिंदर सिंह बेदी, वरिष्ठ प्रबंधक।

वर्ष 2011-12 के लिए बेंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में शाखा चिकपेट बेंगलूर को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री के. के. तिवारी, मुख्य प्रबंधक, श्री डी. कण्णन, वरिष्ठ प्रबंधक एवं श्रीमती राजलक्ष्मी, अधिकारी।

बेंगलूर बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से श्रीमती राजलक्ष्मी आर. अधिकारी शाखा-चिकपेट, बेंगलूर हिंदी ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हेतु पुरस्कार ग्रहण करते हुए।

गतिविधियाँ

माननीय वित्त-मंत्री के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों की बैठक के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस., का स्वागत करते हुए भारतीय बैंक संघ के सलाहकार श्री जे. एस. कथूरिया।

नई दिल्ली में आयोजित डॉ. कर्ण सिंह के सम्मान समारोह के दौरान डॉ. कर्ण सिंह के हाथों सम्मानित होते हुए पूर्व महाप्रबंधक श्री जसपाल सिंह कोचर।

दिनांक 25.08.2012 को शाखा-नौगावां, में फॉरमर क्लब के उद्घाटन अवसर पर ग्रामवासियों के साथ आंचलिक प्रबंधक चण्डीगढ़-।।, शाखा प्रबंधक व अन्य अधिकारीगण।

आंचलिक कार्यालय बरेली के अधीन शाखा - शाहगढ़ के तत्वावधान में गाँव भैरोकलां में आयोजित वित्तीय-समावेशन कैंप के दौरान लिए गए छाया-चित्र।

गतिविधियाँ

लखनऊ अंचल के शाखा प्रबंधकों की विशेष बैठक के दौरान कार्यकारी निदेशक श्री पी. के. आनन्द, श्री जी. एस. सेठी, महाप्रबंधक व उपस्थित अन्य उच्चाधिकारीगण।

बैंक द्वारा सतर्कता प्रबंधन और सतर्कता निवारण पर आयोजित सम्मेलन के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग के अतिरिक्त सचिव श्री अनिल सिन्हा, आई.पी.एस., मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री एम. जी. श्रीवास्तव, महाप्रबंधक श्री इकबाल सिंह भाटिया, आंचलिक प्रबंधक श्री कुलबीर सिंह व अन्य अधिकारीगण। इस सम्मेलन में विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों तथा 12 आंचलिक कार्यालयों व 600 शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की।

आंचलिक कार्यालय अमृतसर (शहरी) के अधीन शाखा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में कार्यरत श्री कश्मीर सिंह - अधिकारी ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को एक लाख रुपए वापस कर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है। पीएसबी परिवार को इन पर गर्व है।

प्र.का. राजभाषा विभाग में कार्यरत श्री शिवकुमार गुप्ता, प्रबंधक की सुपुत्री सुश्री पायल गुप्ता ने डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. की उपाधि प्राप्त करने पर पीएसबी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लुधियाना द्वारा आयोजित 62वीं बैठक के अवसरपर आंचलिक कार्यालय लुधियाना में कार्यरत नामित राजभाषा अधिकारी श्री परमजीत सिंह बेदली को अतिरिक्त मुख्य आयकर आयुक्त लुधियाना श्री कुलदीप सिंह उपरोक्त अधिकारी को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्रेष्ठ कार्य करने के उपलक्ष्य में शील्ड प्रदान करते हुए।

शाखा आयारशिला, पीतमपुरा, नई दिल्ली में कार्यरत श्री एस. पी. सिंह की सुपुत्री सुश्री हिमानी कम्बोज को 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने पर बधाईयां। पीएसबी परिवार इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

एक तीर्थस्थल ऐसा भी

- डॉ. नीरू पाठक

हमारे देश भारत वर्ष के प्राकृतिक सौंदर्य का विवरण अधूरा है, यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अनुपम छटा की व्याख्या न की जाए। बंगाल की खाड़ी में 700 किलोमीटर की लंबाई में समुद्र के बीच लगभग 360 छोटे-बड़े सभी प्रकार के द्वीपों को मिलाकर 'अंडमान-नीकोबार द्वीप समूह' है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जहाँ वायु-सेवा तथा समुद्री मार्ग द्वारा पहुँचा जा सकता है। अंडमान द्वीप का पूर्व में नाम 'हनुमान' था। कहा जाता है कि हनुमान जी ने इसी द्वीप से लंका पर युद्ध अभियान आरंभ करने की योजना बनाई थी। इसी से इसका नाम हनुमान द्वीप पड़ा जो समय के साथ भाषा के बिगड़ते स्वरूप के साथ अंडमान हो गया। अंडमान द्वीप के कुल क्षेत्र का 86 प्रतिशत भाग आरक्षित एवं सुरक्षित वन क्षेत्र है, जिसमें से भी 40 प्रतिशत केवल वहाँ की आदिवासी जन-जातियों के लिए ही है। बिना सरकारी अनुमति के यहाँ जाना मना है। अंडमान के बाद दूसरा बड़ा द्वीप निकोबार है यहाँ रहने वाले नीकोबारी कहलाते हैं। यहाँ समय के साथ बदलाव आया है तथा लोगों से मैत्री के प्रयास भी दिनों-दिन सफल हो रहे हैं। इस प्रकार अपनी परंपराओं के साथ आधुनिक सुख-सुविधाओं को अपनाते हुए यहाँ तरक्की और खुशहाली देखी जा सकती है।

मुख्यतः 'अंडमान' के दो स्वरूप सामने आते हैं एक तो आज़ादी प्राप्त होने से पूर्व का अंडमान, जिसे 'नरक' की संज्ञा दी जाती है और दूसरा सैंकड़ों वर्षों की दासता के बाद मुक्ति के बाद का अंडमान निकोबार, जिसे कश्मीर के बाद भारत का दूसरा स्वर्ग 'द ज्वैल इन इंडियन क्राउन' के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रकृति ने दोनों हाथों से सुन्दरता बिखेरी है एक ओर अपार अथाह पारदर्शी जलराशि तथा दूसरी ओर अन छुआ भू-भाग जिसे कृत्रिमता ने स्पर्श तक नहीं किया। शायद यही कारण है कि भारतीय एवं विदेशी पर्यटक यहाँ आने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। किंतु प्रकृति की अनुपम छटा के अतिरिक्त एक और कारण भी है जिसके लिए अंडमान-निकोबार को 'तीर्थस्थल' कहने का मन होता है, वह है सन् 1906 में निर्मित 'सेल्यूलर जेल'। यह जेल नही दरिंदगी का जीता जागता नमूना है, जो अंग्रेज़ों के भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वृत्ताकार गार्ड टावर के चारों ओर फैले सात विंग वाले तिमंज़िले इस जेल में 698 कोठरियां थीं। प्रत्येक कोठरी मात्र सात फीट चौड़ी व 13 फ़ीट लंबी थी, जिसमें एक छोटा रोशनदान छत के साथ सटा था। वैसे तो यह जेल सन् 1906 में बनी, किंतु कैदियों का प्रथम दल सन् 1857 के आज़ादी के प्रथम युद्ध के बाद लाया गया और नारकीय यातनाऐं दी गई। वस्तुतः अंग्रेज़ों ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को भयावह सज़ा तथा श्रमिकों का जुगाड़। अंग्रेज़ों के अमानुषिक कृत्य की गाथा यह जेल स्वयं कहता है। चार क़ैदियों से दिन भर में 40 किलो नारियल का तेल निकलवाया जाता। कोल्हू के लंबे लोहे के रॉड में लगे हुक में क़ैदियों की गर्दन बाँध दी जाती और कार्य अनवरत चलता रहता यदि कोई काम करते-करते गिर जाता तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाता तथा दूसरे क़ैदी की बारी आ जाती। जेल की म्यूज़ियम में उपलब्ध फोटो कपड़े, बर्तन सब उन अत्याचारों की सच्ची व्यथा कहते हैं। सन् 1909-1921 तक जिस कोठरी में वीर सावरकर जी को रखा गया वहाँ उनकी फोटो टंगी है। उपलब्ध रिकॉर्ड से पता चलता है कि 624 स्वतंत्रता सेनानी जो कि उच्चकोटि के बुद्धिजीवी थे, उन्हें विभिन्न समय पर यहाँ रखा गया। सन् 1942-45 के बीच लगभग ढाई वर्ष द्वीपों पर जापानियों का कब्जा रहा तथा अमर सेनानी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने भी इस धरती पर पदार्पण कर इसे पवित्र किया। भारत की आज़ादी का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज इसी धरा पर जहाँ फहराया गया, उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति स्मारक के रूप में है। साहस व अमर स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस व आत्म-बल को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए 11 फरवरी 1979 को सेल्यूलर जेल को 'राष्ट्रीय स्मारक' घोषित किया गया, किंतु वस्तुतः यह अत्यंत पूजनीय तीर्थस्थल है जहाँ देश के प्रत्येक नागरिक को देश प्रेम का अनूठा संदेश प्रसाद रूप में मिलता है।

प्र.का. विधि एवं वसूली विभाग
नई दिल्ली

तकल्लुफ़

- मेधाविनी श्रीवास्तव

जनवरी की रात थी, हो रही बरसात थी। दामाद शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल पहुँचा। पत्नी से कई दिन बाद मिलने की उत्सुकता में उसने कुछ नहीं खाया था। थकान और भूख से उसका बुरा हाल था। ऐसी अवस्था में जब वह घर पहुँचा, तो थोड़ी देर आराम करने के बाद सास ने बड़े प्यार से दामाद से पूछा, ''भईयाजी! आप कुछ खायेंगे?'' भूख लगी तो बहुत थी परंतु पता नहीं किस दुविधा में आकर दामाद के मुँह से निकल आया, ''आप तकल्लुफ़ मत कीजिए, मैं खाकर आया हूँ।'' इसी पशोपेश में वह किसी से कुछ ना कह पाया और बेचारे को पूरी रात भूखे ही बितानी पड़ी।

उपर्युक्त उदाहरण तो सिर्फ़ एक संकेत मात्र था कि तकल्लुफ़ ना करना किसी को कितना परेशान कर सकता है। तकल्लुफ़ शब्द सुनने में तो बड़ा ही अच्छा लगता है, परंतु इसके प्रयोग से किसी एक व्यक्ति को अत्यंत तकलीफ़ और झेंप का सामना करना पड़ता है। ऐसी नज़ाकत का क्या फ़ायदा, जिसके चलते झेंप तो शायद ना भी हो परंतु तकलीफ़ तो ज़रूर होती है।

तकल्लुफ़ लखनवी तहज़ीब का अटूट हिस्सा है। इस तहज़ीब के अंतर्गत ''पहले आप-पहले आप'' काफी लोकप्रिय है। उदाहरण के तौर पर एक किस्सा याद आ रहा है, ज़रा ग़ौर फ़रमाइएगा। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्ति खड़े थे और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते-करते, दोनों बातचीत करने लगे। जब स्टेशन पर ट्रेन आई तो दोनों ने अपनी लखनवी नज़ाकत का प्रदर्शन किया। पहले सज्जन ने बोला, ''मियाँ, आप पहले चढ़िए, '' दूसरे सज्जन ने कहा, ''नहीं, जनाब पहले आप।'' इस ''पहले आप-पहले आप'' की कशमकश में ट्रेन कब स्टेशन से निकल गई, दोनों को पता भी नहीं चला। सुनने में तो ये वाक्य बड़ा ही मज़ेदार लगता है परंतु जिन दो सज्जन व्यक्तियों की ट्रेन छूटी, ज़रा उनसे पूछकर तो देखिए, ''जनाब! मज़ा आया?''

वैसे तो आज के दौर में कोई तकल्लुफ़ करता ही नहीं है क्योंकि सबको पता है ''जिसने की शर्म, उसके फूटे कर्म।'' इस बात पर अपनी सहेली का एक किस्सा याद आ रहा है, एक दिन उसके ऑफ़िस में बड़ा काम था। उसे काम करते-करते छः बज चुके थे परंतु फिर भी बॉस को खुश करने के लिए, उसने बड़े ही तकल्लुफ़ के साथ अपने बॉस से पूछा, ''सर! अगर कोई और काम है तो मैं रुक जाती हूँ।'' अब आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? बॉस ने क्या मेरी सहेली की कार्य-निष्ठा को देखते हुए, उसे जाने दिया होगा या फिर काम के लिए रोक लिया होगा?आपने बिल्कुल सही सोचा, बॉस ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसे रोक लिया। बॉस के सामने तो मेरी सहेली बहुत अच्छी बन गई परंतु उसके दिल पर क्या बीती सिर्फ़ वही जानती है।

इन सब उदाहरणों से मैं यह नहीं कहना चाहती कि हमें तकल्लुफ़ करना ही नहीं चाहिए। परंतु किसी ने सही कहा है, ''अति हर चीज़ की बुरी होती है।'' तकल्लुफ़ सिर्फ़ उतना ही कीजिए जिससे ना दूसरों को तकलीफ़ हो और ना ही आपको। मेट्रो में अपनी सीट किसी ज़रूरतमंद को देना आपकी शराफ़त दर्शाता है। शायद अपनी सीट देने के बाद आप पूरे रास्ते खड़े होकर जाएं परंतु किसी की सहायता करने से जो सुख आपको मिलेगा, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता और दूसरों के बारे में सोचना भी हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है।

अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं ये आर्टिकल तकल्लुफ़ में नहीं, तकल्लुफ़ पर लिख रही हूँ। यह एक छोटी सी कोशिश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिना तकल्लुफ़ में पड़े, इस लेख को पढ़ कर अपनी बेशकीमती राय से अवगत करवाएंगे।

प्र.का. सामान्य प्रशासन विभाग
नई दिल्ली

विश्व हिंदी सम्मेलन - विश्व हिंदी दिवस

वीरेन्द्र कुमार यादव

दीर्घकालीन प्रवासी भारतीय गाँधी जी 9 जनवरी, 1915 में 21 वर्ष के प्रवास के बाद भारत आते ही भाषा के काम में लग गए। वे भली प्रकार समझ गए थे कि भारतीयों की सार्वभौमिक अखंडता-एकता एवं पहचान को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र की एक भाषा होना ज़रूरी है। इस कार्य की पहल उन्होंने 1918 में दक्षिण भारत से शुरू की जहाँ उन्होंने 1928 में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। राष्ट्र में हिंदी को जन-जन तक पहुँचाने एवं भारतीयों को जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया था।

विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन की कल्पना का मूल आधार उन भावनाओं से अनुप्राणित होता है, जिनके अन्तर्गत महात्मा गाँधी ने वर्ष 1936 में भारत के हिंदीतर राज्यों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से अपनी कर्मस्थली वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। इसी वर्ष नागपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद थे, हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एक व्यापक रूप-रेखा तैयार की गई थी। इस अधिवेशन में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी, पं. जवाहर लाल नेहरू, पुरूषोत्तम दास टंडन, सेठ जमनालाल बजाज, काका साहेब कालेलकर, माखन लाल चतुर्वेदी तथा कई अन्य सुविख्यात विद्वजन शामिल थे।

विश्व हिंदी सम्मेलनों की वर्त्तमान श्रृंखला की वैचारिक शुरूआत सितम्बर 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के नायक अनंत गोपल शेवड़े की प्रेरणा एवं मधुकर राव चौधरी के प्रयास से हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गाँधी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और भारत सरकार ने मई 1974 में पूर्ण सहयोग एवं समर्थन का आश्वासन दिया। इस प्रकार की सार्वभौमित अखंडता-एकता के लिए तथा हिंदी को विश्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 में नागपुर से विश्व हिंदी सम्मेलन की जो शोभा यात्रा प्रारंभ हुई उसने जुलाई 2007 में न्यूयार्क में अपना आठवाँ पड़ाव पूरा कर लिया। 10 जनवरी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से शुरूआत होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा मेरे प्रस्ताव पर विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति की बैठक में दिनांक 8 जून 2005 को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए स्वीकृत हुआ। एक ऐतिहासिक क्षण की शुरूआत हुई। दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ हुआ।

अब तक इन सम्मेलनों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त की है। जैसे महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। प्रारंभ से सरकारी अफ़सरों के घेराव में आता रहा है जिससे कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। इसके बाद हैदराबाद में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय नित्य प्रतिमान स्थापित कर रहा है।

विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरीशस में की गयी है। इसे भी सुचारू रूप में व्यवस्थित कर गतिशीलता प्रदान करने की आवश्यकता है।

हमें एक समुचित एंव सुनियोजित योजना बनानी है जिससे भारतवर्ष सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आगे आ सके। योजना को मूर्तरूप देने के लिए भाषायी समन्वय के साथ हमारी शिक्षा को भारतीय भाषाओं के माध्यम से होना पड़ेगा। यह तब तक संभव नहीं हो पायेगा, जब तक हम संपूर्ण भारत के लिए एक संपर्क भाषा का चयन, प्यार-स्नेह एवं समरसता के सिद्धान्तों पर नहीं कर लेते हैं।

मेरे विचार से यह एक चिंता का विषय है कि भारत जैसा राष्ट्र, जो मनीषियों एवं संतुलित विचारकों से भरा हुआ है। पिछले कई दशकों में कोई नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में नहीं अर्जित कर पाया है। जबकि इजराइल जैसे छोटे से राष्ट्र ने 1948 से अब तक 12 ऐसे पुरस्कार अपनी झोली में डाल लिये हैं। यह राष्ट्र बड़े ही गर्व के साथ अपना सारा काम-काज अपनी राष्ट्रभाषा हिब्रू में करता है। अगर भारत की अनेक भाषाओं को सही बढ़ावा दिया जाता है तो कोई कारण नहीं है कि हम कई अन्य गुरूवर टैगोर जैसे साहित्यकारों को खोज न निकालें। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की आर्य एवं द्रविड़ भाषाओं में ऐसे अनेक साहित्यकार अब भी है जो सही वातावरण एवं प्रोत्साहन के मिलते ही नोबेल पुरस्कार भारत को दिला सकते हैं।

अंग्रेज़ी भाषा के बढ़ते हुए वर्चस्व ने भारत की समस्त भाषाओं को कमज़ोर बनाया है जिसके कारण राष्ट्रीय एकता कमज़ोर हुई है। हिंदी हमारे मन में है, लेकिन वह अब हमारे व्यवहार में होगी तथा आने वाली पीढ़ियों में भी हिंदी के प्रति प्रेम बना रहे।

विश्व हिंदी सम्मेलन के समय हमें पूर्व स्वीकृत प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा तथा एक क्रियान्वयन समिति का गठन करने के साथ कार्यक्रमों को समयबद्ध बनाना होगा। वास्तव में तभी विश्व हिंदी सम्मेलनों के उद्देश्यों को पूर्ण करने में गति आयेगी। हम वे ही प्रस्ताव स्वीकार करें जिन्हें हम क्रियान्वित कर सकें, अन्यथा प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

सदस्य विश्व हिंदी सम्मेलन समिति,
हिंदी सलाहकार समिति, भारत सरकार

शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंधन का व्यावसायीकरण

पी. षण्मुगम

परिचय :

शहरी सहकारी बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं। छोटी बचतों को जमा करने में ये बैंक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और समाज के कमज़ोर वर्गों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। भारतीय वित्तीय-क्षेत्र के उदारीकरण के संदर्भ में इन बैंकों को अन्य बैंकों, वित्तीय-संस्थाओं के साथ ही निजी बैंकों से भी प्रतिस्पर्धा व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी वित्तीय संरचना, परिचालनात्मक क्षमता तथा लाभप्रदता को मजबूत करें। उन्हें गुणात्मक रूप से बेहतर ग्राहक-सेवा भी प्रदान करनी होगी जिससे कि वे चुनौतियों का सामना कर सकें। अब सभी बैंकों के लिए समर्पित व व्यावसायिक दृष्टिकोण वाले प्रबंधन की आवश्यकता है।

व्यावसायिक प्रबंधन क्या है? :

बैंक के स्वामी द्वारा स्वयं को बैंक के परिचालनात्मक प्रबंधन से अलग करना ही व्यावसायिक प्रबंधन है। बैंक का स्वामित्व तो शेयर-धारक के पास रहता है किंतु दैनिक कार्य की ज़िम्मेदारी व्यावसायिक प्रबंधन की रहती है। कौशल तथा वैज्ञानिक ज्ञान के कार्यान्वयन से संस्था के लक्ष्यों व उद्देश्यों के लिए निर्णय लिये जाते हैं। निदेशक मंडल सदस्यों के न्यासी के रूप में नियंत्रण संबंधी कार्य जैसे कार्पोरेट लक्ष्यों का निर्धारण, बोर्ड नीतियों का निर्माण तथा कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन आदि कार्य अपने नियंत्रण में रखेंगे।

एक प्रभावी प्रबंधन की पूर्व आवश्यकताएँ :

आम सभा, निदेशक मंडल और कार्यपालक-ये एक सहकारी बैंक के तीन अंग हैं। बैंक के प्रभावी प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अंग अपनी-अपनी भूमिका निभाए तथा अपने आप को एक दूसरे से अलग रखे। इन तीनों भागों की अपेक्षित भूमिका का संक्षिप्त स्वरूप निम्नानुसार है :

आम सभा में बैंक के सदस्य होते हैं जो बैंक के उपनियमों को अपनाने, उनमें संशोधन करने के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जिन्हें बैंक के सक्षम प्रबंध निदेशक मंडल के चुनाव का अधिकार होता है। कार्यपालक और निदेशक मंडल पर आम सभा बुलाने का दायित्व होता है।

निदेशक मंडल-दीर्घ कालिक उद्देश्य, नीति-निर्माण तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रणाली के निर्धारण के लिए बोर्ड उत्तरदायी होता है। इन्हें संगठन के परिचालन का नियमित अनुश्रवण करना होता है, इन्हें मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाता है। ये अंतिम रूप से बैंक के परिचालन के लिए जिम्मेदार हैं।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी :

एक शहरी सहकारी बैंक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक महत्वपूर्ण अधिकारी है और बैंक के दैनिक कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है। निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों तथा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार उन्हें बैंक की गतिविधियों का संचालन करना है। वे एक ओर निदेशक मंडल और आम सभा के बीच तथा दूसरी ओर कर्मचारियों के साथ संपर्क- सूत्र का कार्य करते हैं। एक व्यावसायिक प्रबंधक के रूप में उन्हें पर्याप्त शिक्षित तथा बैंकिंग ज्ञान, मानवीय संबंधों के कौशल का ज्ञाता होना चाहिए। सभी निदेशक व्यावसायिक नहीं हो सकते हैं, अतः उन्हें मुख्य कार्यपालक अधिकारी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि बोर्ड व्यावहारिक नीतियों का निर्धारण कर सके। कार्पोरेट उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक अच्छा नायक होना चाहिए जो कर्मचारियों में बैंक के प्रति निष्ठा और दल-भावना पैदा कर सके।

शहरी सरकारी बैंकों में प्रबंधन का व्यावसायीकरण और कार्मिकों की नियुक्ति व प्रशिक्षण :

शहरी सहकारी बैंकों में व्यावसायिक प्रबंधन का अर्थ होता है निर्णय लेने के कार्य हेतु प्रजातांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ करते हुए रणनीति अपनाना। यह इस प्रकार है :

1. प्रबंधन दल के लिए वास्तविक कॉर्पोरेट लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित करना।
2. कॉर्पोरेट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक स्वरूप की रचना करना।
3. दल के विभिन्न सदस्यों के लिए अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का निर्धारण।
4. आवश्यकता पड़ने पर संगठन के व्यवस्थित तथा आवधिक कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और तंत्र द्वारा त्वरित उचित कार्यवाही करना।
5. व्यवस्था का उद्देश्य है सुपरिभाषित कार्मिक नीति को अपनाते हुए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन कर अच्छे कार्य-निष्पादन को पुरस्कृत और अभिप्रेरित करना।
6. उचित प्रबंधन विकासात्मक कार्यों के द्वारा प्रबंधन दल के सदस्यों के ज्ञान, कौशल तथा दृष्टिकोण को निरंतर अद्यतन करना।

आंचलिक कार्यालय, चैन्नई

बिरयानी की खुशबू में डूबा-हैदराबाद

- परविंदर कौर सेठी

डरती हूं कि कभी ऐसा न हो कि कोई आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे और मेरे मुंह से अनायास ही निकल जाए बिरियानी। अब बिरियानी होती ही इतनी स्वादिष्ट है कि क्या कहें, जहां सुना बिरियानी, मुंह में आया पानी। इस पर भी मेरा ये लेख पढ़कर आपको बिरियानी की खुशबू न आए तो ये मेरे लेखन का कच्चापन है, बिरियानी के स्वाद का नहीं।

हैदराबाद में रहते-रहते कई बार मैंने महसूस किया कि मुझे इस शहर से प्यार हो गया है। एक बेहद साफ़-सुथरा शहर जो तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और साथ ही अपनी शाही और निज़ामी पहचान को बचाए रखने में भी कामयाब रहा है। चलिए हैदराबाद भ्रमण की शुरुआत करते हैं चार सौ साल से हैदराबाद को फलते-फूलते देख रही चारमीनार से। दिन में चारमीनार के ऊपर जाकर मक्का-मस्जिद, गोल कुंडा किला, शहर के नज़ारे और शाम की रोशनी में चारमीनार को देखते-देखते पता ही नहीं चलता कि कब हमारा मन इतिहास में चला जाता है। चारमीनार के पास लाख बाज़ार में रंग-बिरंगी चूड़ियों की दुकानें। कभी गलती से भी किसी महिला के साथ वहां न जाएं नहीं तो जेब के वारे-न्यारे हो जाएंगे, चूड़ी बाज़ार में चूड़ियां इतनी प्यारी कि पुरुष, भी पहनने को लालायित हो जाएं। खरीददारी के मामले में कोटी की बाज़ार ऐसी जगह है जहां जो चाहो मिलेगा, पायदान से वाशिंग मशीन तक, लेकिन वहां तभी जाओ जब दुकानदार पांच सौ कहे और सौ रुपए में मांगने पर भी आपकी आवाज़ न थरथराए।

चलिए इतिहास में थोड़ा और झांका जाए, चलते हैं गोल कुंडा किले की ओर। ऐसी बनावट कि मुख्य द्वार पर ताली बजाओ तो सबसे ऊपर तक आवाज़ जाती है। वहीं पीछे है हौज कटोरा जहां रानियां नाव में बैठे-बैठे स्नान करती थीं। हम वहां भी गए लेकिन कृपा हो प्रदूषण देव की, हमें वहां भैंसे नहाती मिलीं। सात किलोमीटर की परिधि में बना ये गोलकुंडा किला निशानी है सात जन्म के प्यार के वादों का, जो राजकुमार ने किए थे अपनी प्रेमिका से। आगे की पूरी कहानी जानने के लिए कभी आएं और मज़ा लें लाइट एंड साउंड शो का और ढेर सी दिलचस्प बातों के साथ।

सालारजंग म्यूज़ियम में रखी तरह-तरह की मूर्तियां, हाथी-दांत की बनी चीजें, सजावट का सामान, हथियार और संगीतमय घड़ी देख लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं और बिना दांत वाले बुजुर्ग मसूड़े तले। अगर ये देखना है कि नकली को असली कैसे बनाते हैं तो चल पड़िए रामोजी फ़िल्म सिटी की ओर। फ़िल्म सिटी जाने का मतलब है पूरा दिन किसी और ही दुनिया में बिताना और फिर क्या पता कि किसी निर्देशक को खलनायिका की ज़रूरत हो और नज़र

आप पर आ रुके। फ़िल्म सिटी में आप ऐसा मंदिर पाएंगे जहाँ भगवान नहीं है। फ़िल्म के निर्देशक जब शूटिंग के लिए आते हैं तो अपनी पसंद के भगवान लेकर आते हैं और शूटिंग ख़त्म होते ही भगवान को लेकर चले जाते हैं। यहीं एक पार्क है साड़ी पार्क। कहते हैं कि अभिनेत्री जिस रंग की साड़ी पहनती हैं उसी रंग के फूलों से सजा देते हैं पार्क को, लेकिन इस पार्क में शूटिंग काफी दिनों से नहीं हुई क्योंकि अभिनेत्रियों ने साड़ी पहननी बंद कर दी है।

हैदराबाद के थ्री सीटर में सात और सेवेन सीटर ऑटो में बारह सवारियों को देख किसी बाहरी व्यक्ति को ये किसी सर्कस से कम नहीं लगेगा लेकिन यहाँ यह मामूली बात है। हैदराबाद आए और हुसैन सागर न गए तो ये किसी अपराध से कम नहीं होगा। गोल-गोल हुसैन सागर के चारों ओर बनी सड़क पर जलती स्ट्रीट लाइट माला की तरह लगती है, इसलिए इस सड़क को नेकलेस रोड़ कहते हैं। बहुत कुछ है घूमने-टहलने का नेकलेस रोड के आस-पास। बिड़ला मंदिर में ऊपर बैठ कर शाम को शहर देखना मन को अजीब-सा सुकून देता है। यहीं बना है प्रसाद मल्टीप्लेक्स जहाँ फ़िल्मों के शौकीन मज़ा ले सकते हैं और फिर लुंबिनी पार्क के लेज़र शो का आनंद उठाते हुए नाव से निकल पड़िए हुसैन सागर के बीच खड़े बुद्ध भगवान से बतियाने के लिए। वहीं पास में बने राम कृष्ण मठ के ध्यान कक्ष में दिव्यता का अनुभव कभी भी किया जा सकता है। उसी के पड़ोस में है, स्नो वर्ल्ड जिसमें गर्मी के मौसम में अंदर पूरी बर्फ़ जमी रहती है। बाहर कितनी गर्मी है और अंदर कितनी सर्दी है। लेकिन इस सर्दी-गर्मी का लुत्फ़ उठाने के लिए जेब में गर्मी होनी चाहिए। घूमते-घूमते थक गए हों तो पेट पूजा कर सकते हैं हुसैन सागर के किनारे ईट स्ट्रीट में। मस्त-मस्त ताज़ी बहती हवा में खाने का मज़ा लीजिए सुहावने नज़ारे के साथ।

हैदराबाद में उर्दू को बबल गम की तरह जिसने जितना चाहा खींचा, खींचा और खींचा। मिठास के मामले में अगर शहद और उर्दू में तुलना करेंगे तो उर्दू ज़्यादा मीठी निकलेगी। लेकिन हैदराबाद की खिंची हुई उर्दू? किसी के साथ ऐसा बुरा न हो जो यहाँ उर्दू के साथ हुआ, बोलचाल की हिंदी की भी तबीयत ख़राब है। वहीं अगर बात करें साहित्यिक गतिविधियों की तो इतनी गोष्ठियाँ इतने कवि-सम्मेलन और हिंदी से जुड़ा जितना कार्य दक्षिण के इस शहर में हो रहा है वो उत्तर में भी बहुत कम जगहों पर मिलेगा।

हैदराबाद में लड़कियाँ एक ही फैशन करती हैं और वो है बालों में फूल लगाने का। अजीब-सी सादगी है लड़कियों में और लड़के सादगी में लड़कियों से भी दस कदम आगे। पान, तंबाकू, सिगरेट थोड़ा कम ही पसंद करते है। जगह-जगह बड़ी-बड़ी इमारतें बन रही हैं चट्टानों को तोड़कर। प्रकृति से प्यार करने वालों को ये कुछ रास नहीं आ रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी हैदराबाद दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति पर है। नया आई.आई.टी. खुल रहा है। आई.एस.बी.आई., आई.आई.टी., इक्काई, निफ्ट जैसे कॉलेज पहले से ही देश भर के दिमागी शैतानों को आकर्षित करते रहे हैं। यहीं है 2200 एकड़ में बना हैदराबाद विश्वविद्यालय जहाँ से ढेरों दिग्गज निकले जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में नाम रोशन किया। जहाँ इतने दिग्गज़ निकले वहाँ दो-चार हमारे जैसे भी तर गए। मैंने अपनी एम.ए. की डिग्री हैदराबाद विश्वविद्यालय से पूरी की।

शहर में आप जगह-जगह ईरानी चाय बिकती पाएंगे। कहते हैं इतनी महारत है यहाँ कि लोग ईरान से भी हैदराबाद ईरानी चाय पीने आ जाते हैं। लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ईरानी चाय वास्तव में जबरदस्त होती है। जी.पुल्ला रेड्डी की मिठाई की दुकानें शहर में कहीं न कही तो आपको अपने पास बुला ही लेंगी। आलमंडस हाउस की मिठाई खाकर भी बातों में मिठास आ जाती है। तेलुगु नव वर्ष उगादी के अवसर पर अलग ही मस्ती दिखती है यहाँ के लोगों में। ढेरों पकवान बनाए जाते हैं और बड़े प्यार से मिलते हैं लोग एक-दूसरे से। नामपल्ली स्टेशन के पास मोखमजाह रोड पर आइस क्रीम की बहुत मशहूर दुकान है। मैं जब पहली बार गई तो ग़लत दुकान में चली गई थी। मेरे दिमाग में गाना बजने लगा गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। बाद में सही दुकान पर गई तो लगा कि कुछ तो है इस आइसक्रीम में जो इतनी मशहूर हैं। वहीं है कराची बेकरी जिसके बिस्कुट का स्वाद बयाँ नहीं किया जा सकता, उसे तो कभी मौका मिले तो खाकर देखिए।

अब और क्या लिखें हैदराबाद में भी रात को एक चाँद निकलता है और दिन में एक सूरज, तारे गिनने का समय नहीं मिल पाया। कभी भी आएं और सैर करें इस निराले शहर की जो किसी को भी बाँहे पसार कर दिल खोल कर अपनापन देने को हमेशा तैयार रहता है।

- प्र.का. सामान्य प्रशासन विभाग

नई दिल्ली

काव्य-मंजूषा

जीवन संपत्ति

- अमित मोहन अस्थाना

दुःख भी मानव की संपत्ति है।
तू दुःख से क्यों घबराता है।।

सुख आया है तो जाएगा।
दुःख आया है तो जाएगा।।

सुख जाएगा तो दुःख देकर।
दुःख जाएगा तो सुख देकर।।

दुःख देकर जाने वाले से।
मानव तू क्यों भय खाता है।।

दुःख भी....

सुख संध्या का वह लाल क्षितिज।
जिस पश्चात अँधेरा है।।

दुःख उषा का झुट-पुटा समय।
जिस पश्चात सवेरा है।।

सुख में सब बिसरे रहते।
दुःख सब की याद दिलाता है।।

दुःख भी........

- आंचलिक कार्यालय, बरेली

ज़िंदगी का सफ़र

-अर्चना कुमारी

ज़िंदगी का सफ़र क्यों एक पहेली सी है
क्षण में अंजान, क्षण में सहेली सी है।

है खुशी थोड़ी ग़म भी कुछ है मिला
काँपते हाथों की हथेली सी है।

कोहरे में रात के, भोर की ये किरण
बाग में जो खिलती चमेली सी है।

नगर की धुंध में, ख़्वाब बन रह गई
गाँव की उस पुरानी हवेली सी है।

नीम की शाख के रस में लिपटी हुई
खट्टी इमली, कभी गुड़ की भेली सी है।

मुरझाये हैं फूल सारे, रंग सबके उड़े
लगती क्यों मन को फिर भी रंगोली सी है।

- प्र.का. प्राथमिकता क्षेत्र विभाग
नई दिल्ली

दोस्ती ज़िंदगी हैं

- अर्चना चन्द्रा

एक प्यारे ज़ज्बे को हमेशा बनाकर
रखने की एक कसम है दोस्ती
हर दिल हर सफ़र का साथ है ये दोस्ती
प्यार फिर भी छोड़ दे साथ हमसफ़र का,
रूह में जो बस जाए तो एहसास है
ये दोस्ती।

दोस्ती शायद ज़िंदगी भी होती है
जो हर दिल में बसी होती है
वैसे तो जी लेते हैं सभी अकेले मगर
फिर भी ज़रूरत एक दोस्त की
हर किसी को होती है।

तन्हा हो कभी तो मुझको ढूँढना
दुनिया से नहीं अपने दिल से पूछना
आस-पास ही कहीं बसे रहते हैं,
यादों से नहीं साथ गुज़ारे लम्हों
से पूछना।

ज़रूरत ही नहीं कुछ कहने की
दोस्ती तो वो है जो
बात समझे नज़रों की
पास होते तो मंज़र ही क्या होता,
दूर से ही है ख़बर
दोस्त की हर धड़कन की.....!!!

- प्र.का. प्राथमिकता क्षेत्र विभाग
नई दिल्ली

काव्य-मंजूषा

जिन्दगी क्या है.......?

- अनुपम सिन्हा

कभी हँसी है तो कभी दुःख का साया,
इसमे हमने कभी खोया तो कभी पाया,
दुःख के अंधेरे में बेगानी सी लगती है,
खुशी में वही ज़िंदगी अपनी सी लगती है,
इसमें कोई आया रोते हुए तो जाता है हँसते हुए,
इसमें आते तो सभी रोते हुए पर कोई जाता भी है रोते हुए।

कभी लगती है बहारों की तरह, रंगीली सी,
कभी लगती है पतझड़ की तरह कंटीली सी,
कभी गले लगाने को मन करता है,
तो कभी ज़िंदगी जीने से डर लगता है,
दुःख के समुद्र में खो सी जाती है,
तो खुशी के पल में गले लगाती है।

कभी लगती है अपनी सहेली सी,
कभी लगती है ये एक पहेली सी।
खुशी में लगता है ये बड़ी होती चली जाए,
दुःख में लगता है ये अभी खत्म हो जाए।

कभी लगती है अँधेरी गलियों में बहकती सी,
कभी लगती है, खुशी की रोशनी में महकती सी।
कुछ लोग इसमें छोड़ जाते हैं अपनी छाप,
और कुछ चले जाते हैं, यूं ही बेछाप।

कौन कहता है ज़िंदगी दुःख का सागर
और सुख की गागर है।
ज़िंदगी जीने में एक अलग-सा मज़ा है पर
जिया जाये कैसे यह भी एक कला है।

- प्र.का. प्राथमिकता क्षेत्र विभाग, नई दिल्ली

यादें

- श्वेता त्यागी

इन बिखरे हुए पन्नों में कहीं खो जाती हूँ मैं,
क्या लिखूं क्या ना लिखूं समझ नहीं पाती हूँ मैं।

दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक़्त आता है जब भी याद,
इस भीड़ में भी कहीं गुम हो जाती हूँ मैं।

ज़िंदगी की राह पर मिले थे सच्चे दोस्त,
आज भी ख़ुद को उस राह पर रुका पाती हूँ मैं।

जहाँ कभी मस्तियों का शोर था, वहाँ आज ख़ामोशियों की दस्तक है,
समझ नहीं पाती ज़िंदगी भी क्या अजीब कशमकश है।

जहाँ कभी बचपन की शरारतें थी, वहाँ आज मुश्किलों के मंज़र है,
फिर से उन पलों को जीना चाहती हूँ मैं।

कभी सोचा नहीं था जीना पड़ेगा दोस्तों से बिछुड़कर,
जुदा हो जाएंगे दोस्त ज़िंदगी के एक मोड़ पर।

वो बातें, वो लड़ाईयाँ, वो रूठना-मनाना कभी ना आएगा लौट कर,
फिर भी ना जाने क्यों हर रोज़ वही सपने सजाती हूँ मैं।

कभी-कभी यादों की मोहताज़ हो जाती हूँ इस कदर,
चाहकर भी आँखों के आसूं छुपा नहीं पाती हूँ मैं।

जो हाथों की लकीरों में नहीं, अब मिलेगा कैसे,
ना जाने क्यूँ फिर ज़िंदगी से एक और उम्मीद लगाती हूँ मैं।

- प्र.का. प्राथमिकता क्षेत्र विभाग
नई दिल्ली

सेवा-निवृत्तियाँ

पी.एस.बी. परिवार अपने सेवानिवृत्त साथियों के स्वस्थ व सुखमय जीवन की कामना करता है।

सहायक महाप्रबंधक

1.	श्री गुरविन्दर सिंह अरोड़ा	:	आं. का. जालंधर
2.	श्री सुरजीत सिंह अरोड़ा	:	शाखा राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली
3.	श्री प्रिथीपाल सिंह सोढी	:	स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़

मुख्य प्रबंधक

1.	श्री बलदेव सिंह	:	आंचलिक कार्यालय, दिल्ली- I
2.	श्री सतनाम सिंह सोहल	:	प्र. का. विधि एवं वसूली विभाग, नई दिल्ली
3.	श्री बलबीर सिह बहल	:	स्टाफ़ प्रशिक्षण कॉलेज, चंडीगढ़

वरिष्ठ प्रबंधक

1.	श्री नरिन्द्र सिंह बीर	:	शाखा शेरपुर
2.	श्री सतिन्द्र सिंह भाटिया	:	आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली- II
3.	श्री हरमीत सिंह कालरा	:	शाखा माडल टाऊन एक्सटेंशन, लुधियाना
4.	श्री गुरमेल सिंह	:	शाखा बेगोवाल
5.	श्री गुरमीत सिंह	:	शाखा रेड़ू
6.	श्री विजय कुमार अरोड़ा	:	शाखा मलाड (वैस्ट), मुम्बई
7.	श्री मोहन इन्द्र सिंह अरोड़ा	:	आंचलिक कार्यालय अमृतसर (शहरी)
8.	श्री जगजीत सिंह पुरी	:	स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़
9.	श्री कमलरूप सिंह	:	प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली
10.	श्री ललित कुमार गुलाटी	:	प्र.का. सतर्कता विभाग, नई दिल्ली
11.	श्री पवितर सिंह	:	शाखा आई.बी.डी. मुम्बई
12.	श्री मनमोहन सिंह	:	प्र.का. विधि एवं वसूली विभाग, नई दिल्ली
13.	श्री नरिन्द्र सिंह	:	शाखा विष्णु गार्डन, नई दिल्ली
14.	श्री कुलबीर सिंह साही	:	शाखा मायापुरी, नई दिल्ली
15.	श्री महाद यासीन	:	शाखा मालेर कोटला
16.	श्री गुरबख्श सिंह सेठी	:	प्र.का. योजना एवं विकास विभाग, नई दिल्ली
17.	श्री भारत भूषण कोहली	:	आ. नि. लखनऊ
18.	श्री रमिन्द्र सिंह उप्पल	:	शाखा सिविल लाइन्स, लुधियाना
19.	श्री गुरदर्शन सिंह	:	आंचलिक कार्यालय, जालंधर
20.	श्री जतिन्द्र सिंह बवेजा	:	शाखा फतेहगढ़ चूड़ियां, अमृतसर

प्रबंधक

1. श्री हरशरण सिंह : आ.का. लखनऊ
2. श्री हरजीत सिंह रतन : शाखा हरि के पतन
3. श्री यशपाल सिंह ग्रेवाल : आ.नि. चंडीगढ़
4. श्री कवरजीत सिंह टिब : शाखा नया बाज़ार, दिल्ली
5. श्री मनमोहन सिंह राना : आ. नि. चंडीगढ़
6. श्री रतन सिंह : शाखा सुल्तानपुर लोधी
7. श्री राजिन्द्र सिंह रेहान : आ.का. अमृतसर (शहरी)
8. श्री केवल सिंह : शाखा खेड़ा दोना
9. श्री विनोद कुमार शर्मा : शाखा मंडल
10. श्री राजिन्द्र सिंह : शाखा हिंदू सभा, अमृतसर
11. श्री सुभाष कुमार सूद : प्र.का. योजना एवं विकास विभाग नई दिल्ली
12. श्री अजीत सिंह करीर : आ.नि., नई दिल्ली
13. श्री दलजीत सिंह आहूजा : आ. नि., नई दिल्ली
14. श्री गुरदेव सिंह भाटिया : शाखा हरी नगर, नई दिल्ली
15. श्रीमती अमरजीत कौर : शाखा नेहरू प्लेस, नई दिल्ली
16. श्री विजय कुमार भयाना : प्र.का. सतर्कता विभाग, नई दिल्ली
17. श्री नरिन्द्र पाल सिंह खन्ना : आ. का. लुधियाना
18. श्री अवतार सिंह : शाखा माजरी
19. श्री कुलभूषण सचदेवा : शाखा कंकड़ खेड़ा, मेरठ
20. श्री मल्कियत सिंह : आ. का. होशियारपुर
21. श्री तेजिन्दर पाल सिंह : शाखा पहाड़ गंज, नई दिल्ली
22. श्री विनोद कुमार भाटिया : शाखा फ़िरोज़पुर
23. श्री राजीव लोचन : शाखा गुरूद्वारा गुरू का ताल, आगरा
24. श्री राजिन्दर कुमार कश्यप : शाखा अम्बाला कैंट
25. श्री सुखराम सिंह : शाखा जमशेदपुर
26. श्री सुखविन्द्रपाल सिंह : आं. का. जालंधर
27. श्री भगत सिंह : सर्विस ब्रांच, नई दिल्ली
28. श्री बेअंत सिंह : शाखा फ़िरोज़पुर

अधिकारी

1. श्री विजय कुमार : शाखा गांधी रोड, देहरादून
2. श्री नवजीत सिंह : शाखा भोपाल
3. श्री मोहिन्दर पाल सिंह : शाखा घनौली
4. श्री नरेश चोपड़ा : शाखा रोशनारा रोड, दिल्ली
5. श्री रविन्द्र कुमार : शाखा गुजरांवाला, दिल्ली
6. श्री गुरचरण सिंह : शाखा सलीम टाबरी, लुधियाना
7. श्री करमजीत सिंह : शाखा न्यू ग्रेन मार्किट, देवीगढ़
8. श्री कंवर जीत सिंह : प्र.का. परिसर विभाग
9. श्री चन्द्र सेन : शाखा छजारसी
10. श्री भलिंदरजीत सिंह : आ.का. पटियाला
11. श्री मनमोहन सिंह : शाखा मायापुरी, नई दिल्ली
12. श्री आत्मा सिंह सिद्धु : शाखा तलवंडी साबो
13. श्री रास बिहारी सिंह : शाखा वाराणसी
14. श्री भारतीय प्रकाश सहगल : शाखा जैनेन्द्र गंज, ग्वालियर
15. श्री चन्द्र मोहन महाजन : शाखा जमशेर खेड़ा
16. श्री मनजीत सिंह मनचंदा : शाखा गडरिया पुरवा, कानपुर
17. श्री बलवीर सिंह : शाखा सलीम टाबरी, लुधियाना
18. श्री सरबजीत सिंह : शाखा अरबन एस्टेट, जालंधर
19. श्री अभय सिंह रजवाड़े : शाखा फोर्ट रोड, ग्वालियर
20. श्री गुरचरण सिंह : शाखा निहाल सिंह वाला
21. श्री इन्द्रजीत सिंह चौधरी : शाखा कालकाजी, नई दिल्ली
22. श्री मनमोहन सिंह चड्डा : शाखा रेलवे रोड, होशियारपुर
23. श्री रेशम सिंह : शाखा किचलू नगर, लुधियाना
24. श्री रविन्द्र सिंह : शाखा झिल, पटियाला
25. श्री शशि कुमार वाही : शाखा लोहिया नगर, गाज़ियाबाद
26. श्री गुरजंट सिंह : शाखा बठिंडा
27. श्री अमरपाल सिंह : शाखा हार्ट एंड लंग केयर, न.दि.
28. श्री विजय कुमार शर्मा : शाखा बटाला रोड, अमृतसर
29. श्री जोगिन्द्र सिंह : शाखा अहमदगढ़ मंडी
30. श्री ए. के. अब्दुल राशिद : शाखा मैंगलौर
31. श्री हरविन्द्र सिंह चावला : शाखा दिड़बा
32. श्री अमरीक सिंह : शाखा चबाल कलां
33. श्री सुरिन्द्रजीत सिंह : शाखा तरन तारन
34. श्रीमती सोनकली यादव : शाखा बरेली
35. श्री राकेश माथुर : शाखा मयूर विहार, नई दिल्ली
36. श्री कवलजीत सिंह : शाखा पीतमपुरा, दिल्ली
37. श्री हरविन्द्र सिंह चंडोक : शाखा पश्चिम विहार, नई दिल्ली
38. श्री दलजीत सिंह : शाखा आनंद विहार, दिल्ली
39. श्री मनजीत सिंह जौली : शाखा सिटी सेंटर, अमृतसर
40. श्रीमती सतनाम कौर : शाखा लांबड़ा
41. श्रीमती शोभा आर रती : शाखा वाशी, मुम्बई
42. श्री सतिन्द्र कुमार सपरा : शाखा राजपुर रोड, देहरादून
43. श्री उजागर सिंह परूथी : शाखा मदनपुर खादर, नई दिल्ली
44. श्री विनोद कुमार बख्शी : शाखा मदनपुर खादर, नई दिल्ली

राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह

- तारा चंद

किसी भी राष्ट्र की पहचान में उस राष्ट्र के 'प्रतीक' व 'चिन्ह' महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे देश 'भारत' ने भी विदेशी आधिपत्य से मुक्ति के उपरांत कुछ महत्वपूर्ण 'प्रतीकों' व 'चिन्हों' को अपनाया। ये प्रतीक हमारी सभ्यता व संस्कृति के प्रतिबिम्ब रहे हैं। इनमें भारत देश की झलक भली-भांति दृष्टिगोचर होती है।

हमने जिन प्रतीकों व चिन्हों को अपनाया है उन्हें निम्न प्रकार से देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय प्रतीक :

भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। स्तंभ के आधार में बाईं ओर एक घोड़ा, दाईं ओर एक वृषभ तथा बीच में चक्र है। अशोक के इस स्तम्भ में 'चक्र' धर्म का प्रतीक है। स्तम्भ के शीर्ष में चार शेर है। हालाँकि तीन शेर दिखाई देते है। शीर्ष के नीचे देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' लिखा है जिसे 'मुंडकोपनिषद' से लिया गया है। यह चिन्ह सभी नोटों तथा सिक्कों पर होता है। यह भारत सरकार का चिन्ह तथा मोहर भी है।

राष्ट्रीय ध्वज :

स्वतंत्रता प्राप्ति से तीन सप्ताह पूर्व अर्थात् 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने 'राष्ट्रीय ध्वज' को स्वीकृति दी थी। इसकी लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ऊपर की पट्टी में केसरिया रंग, बीच की पट्टी में सफेद रंग तथा पट्टी के बीचो-बीच नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 कमानियाँ हैं। यह चक्र सारनाथ के स्तम्भ से

लिया गया है। नीचे की पट्टी में हरा रंग होता है। सन् 1931 से 26 अप्रैल को राष्ट्रीय झण्डा दिवस मनाया जाता है। इसके निर्माता पिंगल वैकैया थे। इसे सबसे पहले भीकाजी कामा ने 1905 में फहराया था।

राष्ट्रीय गान :

रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित 'जन-गण-मण' को संविधान सभा ने 26 जनवरी, 1950 को भारत का 'राष्ट्रगान' स्वीकार किया। पूरी कविता पाँच पदों में है। 'राष्ट्रीय गान' के लिए केवल प्रथम पद लिया गया है। इसके गाने का समय 52 सेकेंड है। इसका पहली

बार प्रकाशन सन् 1912 में भारत विधाता के नाम से 'तत्वबोधिनी' पत्रिका में किया गया था। इसे पहली बार सन् 1911 में दिल्ली में जार्ज पंचम के दरबार में गाया गया था।

राष्ट्रीय कैलेंडर :

ग्रिगेरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए 'शक संवत्' पर आधारित राष्ट्रीय पंचाग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च, 1957 ई. को अपनाया गया, इसका पहला महीना चैत्र है। यह सामान्यतः सामान्य वर्ष में 21 मार्च को एवं लीप वर्ष में 22 मार्च को प्रारंभ होता है।

उपरोक्त सभी राष्ट्रीय चिन्हों व प्रतीकों का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। इन कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(क) के तहत रखा गया है। इस प्रकार इनकी अखंडता व सम्मान को बनाये रखना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए।

राष्ट्रीय पक्षी :

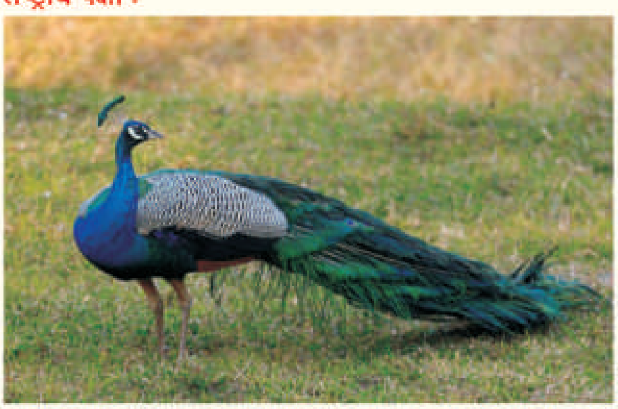

मोर को उसके अदभुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया।

राष्ट्रीय पशु :

बाघ, पेंथरा, टाइग्रिस लिन्नायस, पीले रंगों और धारीदार लोमचर्म वाला एक पशु है। अपनी शालीनता, दृढ़ता एवं फुर्ती तथा अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय गीत :

वन्दे मातरम्
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
शस्यशामलां मातरम् ।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनी
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी
सुखदां वरदां मातरम् ।। १ ।। वन्दे मातरम् ।
कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले
कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले,
अबला केन मा एत बले ।
बहुबलधारिणी नमामि तारिणी
रिपुदलवारिणी मातरम् ।। २ ।। वन्दे मातरम् ।
तुमि विद्या, तुमि धर्म
तुमि हृदि, तुमि मर्म
त्वं हि प्राणा: शरीरे
बाहुते तुमि मा शक्ति,
हृदये तुमि मा भक्ति,
तोमारई प्रतिमा गडि
मन्दिरे-मन्दिरे मातरम् ।। ३ ।। वन्दे मातरम् ।
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदलविहारिणी
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्
नमामि कमलां अमलां अतुलां
सुजलां सुफलां मातरम् ।। ४ ।। वन्दे मातरम् ।
श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां
धरणी भरणी मातरम् ।। ५ ।। वन्दे मातरम् ।।

हमारा 'राष्ट्रीय गीत' 'वन्दे मातरम्' बंकिम चन्द्र चटर्जी के उपन्यास 'आनन्दमठ' से लिया गया है। इसका पहली बार प्रकाशन 'बंग-भंग' पत्रिका में 1882 में किया गया था। इसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।

प्र.का. कार्मिक विभाग, नई दिल्ली

हमारे चित्रकार

निशांत भदौरिया - सुपुत्र श्री सुरेश कुमार भदौरिया, प्र.का. सामान्य प्रशासन विभाग, नई दिल्ली।

सुश्री नंदिनी
सुपुत्री श्री पवन कुमार, प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, नई दिल्ली।

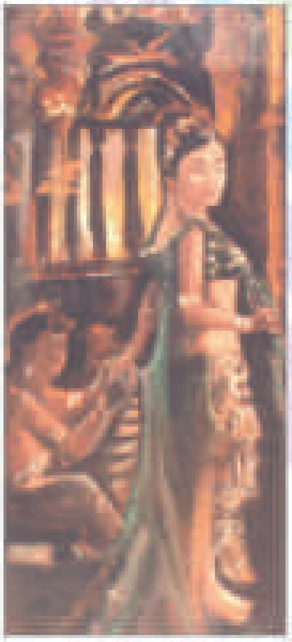

इन्द्रजीत सिंह
प्र.का. परिसर विभाग, नई दिल्ली।

सुश्री नेहा भदौरिया
सुपुत्री श्री सुरेश कुमार भदौरिया,
प्र.का. सामान्य प्रशासन विभाग, नई दिल्ली।

सुश्री गुरलीन कौर
सुपुत्री श्री एन. एस. आनंद, प्र.का. आई.टी. विभाग, नई दिल्ली।

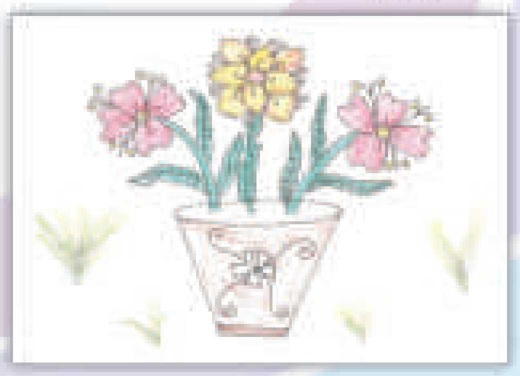

सुश्री संजना सामल
सुपुत्री श्रीमती बेबी कुमारी,
प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
नई दिल्ली।

बैंक का विज़न और मिशन

बैंक का कार्पोरेट विज़न

हमारी परिकल्पना है कि हम मानवीय, वित्तीय तथा प्रौद्योगिकी संसाधनों में आदर्शतम तालमेल स्थापित करके एक सुदृढ़ एवं सक्रिय बैंक के रुप में उजागर हों।

बैंक का मिशन

- प्रभावशाली जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का कार्यान्वयन।
- उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी मानदंड अपनाना।
- ग्राहक-सेवा में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु प्रयत्न करना।
- बैंकिंग कारोबार के प्रबंधन में उत्तरदायित्व का निर्धारण करना एवं उच्च कोटि की पारदर्शिता लाना।
- वित्तीय एवं गैर-वित्तीय जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना।
- प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का उचित रूप से अनुपालन करते हुए बैंक का लाभ एवं लाभप्रदता बढ़ाना।
- योजनाबद्ध ढंग से निधियों की औसत लागत को घटाते हुये पूंजी पर

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Visit us at : www.psbindia.com

पी एण्ड एस बैंक-जहां सेवा ही जीवन ध्येय है।